https://www.sarkarionlinejob.com/

बजट 2018-2019

वित्त मंत्री

अरुण जेटली

का

भाषण

1 फरवरी, 2018

खंड-I

प्रशासन, अर्थव्यवस्था तथा विकास

1. अध्यक्ष महोदया, मैं वर्ष 2018-19 का बजट प्रस्तुत करता हूँ।

2. महोदया, चार वर्ष पहले हमने भारत के लोगों को इस राष्ट्र को एक ईमानदार, स्वच्छ तथा पारदर्शी सरकार देने का वचन दिया था। हमने एक ऐसा नेतृत्व देने का वादा किया था, जो कठिन निर्णयों को करने में और भारत की अर्थव्यवस्था में विश्वास को बहाल करने में सक्षम हो। हमने देश में गरीबी को कम करने, आधारभूत सुविधाओं के सृजन की गति में तेजी लाने तथा एक मजबूत, आत्म विश्वास से परिपूर्ण नवभारत देने का वचन दिया था। यह वह समय था जबकि भारत कमजोर देशों की श्रेणी में माना जाता था- एक ऐसा राष्ट्र था, जो नीतिगत ठहराव एवं भ्रष्टाचार से जूझ रहा था। हमने इस स्थिति में निर्णायक बदलाव लाया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में हमारी सरकार ने अनेक बुनियादी संरचनात्मक सुधारों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। इसके परिणामस्वरूप, भारत विश्व के सर्वाधिक तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था वाले देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है।

3. गत कुछ वर्षों के दौरान आर्थिक सुधारों की यह यात्रा चुनौतीपूर्ण तथा परिणामोत्पादक रही है। सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारात्मक उपायों के परिणामस्वरूप देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है। सरकार द्वारा किए गए उपायों से भारत में व्यवसाय करना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। अब प्राकृतिक संसाधनों के आबंटन में पारदर्शिता एवं ईमानदारी बरती जाने लगी है। अब ईमानदारी हमारे लिए सर्वोपरि हो गई है। एक समय था जब भ्रष्टाचार शिष्टाचार का अंग बन गया था। आज हमारे नागरिक, विशेष रूप से नवयुवक वर्ग, ईमानदारी का जीवन व्यतीत करने को तत्पर हैं। माल एवं सेवा कर को लागू करने से अप्रत्यक्ष कर प्रणाली अधिक आसान हो गई है।

https://www.sarkarionlinejob.com/

डिजिटल प्रौद्योगिकी को प्रयोग में लाने से गरीबों को अधिक प्रभावी रूप में लक्षित करते हुए उन्हें लाभ पहुंचाया जाने लगा है। उच्च मूल्य की मुद्रा के विमुद्रीकरण से भारत में नकद मुद्रा एवं परिचालन की मात्रा में कमी आई है। इससे कराधान का आधार व्यापक हुआ है तथा देश में अर्थव्यवस्था के डिजिटाइजेशन में तेजी आई है। शोधन अक्षमता तथा दिवालियापन कोड को लागू किए जाने से ऋणी - ऋण दाताओं के बीच संबंध बदला है। बैंकों का पुनःपूंजीकरण किया गया है और अब ये बैंक विकास की गति को सहायता प्रदान करने में पहले से कही अधिक सक्षम हैं। इन सभी संरचनात्मक सुधारों से मध्यम अवधि एवं दीर्घावधि में भारतीय अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक टिकाऊ सुदृढ़ विकास गति को प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होगी।

4. मई, 2014 में हमारी सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारत की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। हमारी सरकार के पहले 3 वर्षों में भारत में आर्थिक विकास की औसत दर 7.5 प्रतिशत पर पहुंच गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था अब 2.5 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था है तथा विश्व की सातवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आशा है कि भारत शीघ्र ही विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। क्रय शक्ति समानता (पीपीपी) आधार पर हमारा देश पहले से ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है।

5. भारतीय समाज, राजनीति तथा अर्थव्यवस्था ने संरचनात्मक सुधारों को अपनाने में उल्लेखनीय लोच प्रदर्शित की है। दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की 6.3 प्रतिशत की वृद्धि दर ने अर्थव्यवस्थ में आमूलचूल बदलाव आने का संकेत दिया था। वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में हमारे जीडीपी में 7.2 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि होने की आशा है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी हालिया रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया है कि आगामी वर्ष के दौरान भारत की विकास दर 7.4 प्रतिशत होगी। हम 8 प्रतिशत से भी अधिक की उच्च विकास दर को प्राप्त करने के पथ पर मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। विनिर्माण क्षेत्र भी विकास के तीव्रतर पथ पर लौट आया है। सेवा क्षेत्र, जो हमारे विकास का एक मुख्य क्षेत्र है, में भी 8 प्रतिशत से भी अधिक की उच्च दर से वृद्धि हो रही है। वर्ष 2017-18 में हमारे निर्यात में 15 प्रतिशत की दर से वृद्धि होने का अनुमान है।

6. हमने देश के किसानों, गरीब वर्ग के लोगों एवं समाज के अन्य कमजोर तबकों को संरचनात्मक बदलावों एवं अर्थव्यवस्था की उच्च विकास दर के लाभ पहुंचाने तथा देश के अल्प विकसित क्षेत्रों के उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रमों की शुरुआत की है। इस वर्ष के बजट में इन लाभों को सुदृढ़ किया जाएगा तथा विशेषकर कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, आर्थिक दृष्टि से कम सुविधा प्राप्त वर्ग के लोगों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने, वरिष्ठ नागरिकों के हितों की रक्षा करने, आधारभूत सुविधाओं का सृजन तथा देश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए राज्यों के साथ मिलकर कार्य करने पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है।

7. हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हमेशा से ही अच्छे प्रशासन के महत्व पर बल दिया है। आपने "न्यूनतम सरकार तथा अधिकतम शासन" की अवधारणा पर बल दिया है। इस अवधारणा से सरकारी एजेंसियां नियमों, नीतियों तथा प्रक्रियाओं में सैकड़ों सुधार लाने के लिए प्रेरित हुई हैं। यह बदलाव भारत द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक की रिपोर्ट "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" में शामिल देशों की रैंकिंग में 42 स्थानों के सुधार आने से प्रदर्शित होता है। भारत पहली बार इस सूची में शीर्षस्थ 100 देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है। मैं इस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों को बधाई देता हूँ।

https://www.sarkarionlinejob.com/

8. हमारी सरकार अब "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" से आगे बढ़कर देश के जनसामान्य, विशेषकर गरीब और मध्यमवर्ग की जिंदगी को आसान बनाने के लिए, उनकी "ईज ऑफ लिविंग" पर जोर दे रही है। गुड गवर्नेंस का आधार भी यही है कि देश के आम नागरिक के जीवन में सरकारी दखल कम से कम हो।

9. उज्ज्वला योजना के माध्यम से सरकार देश के गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन दे रही है। सौभाग्य योजना के जरिए चार करोड़ घरों को बिजली कनेक्शन से जोड़ा जा रहा है। 3 हजार से ज्यादा जन औषधि केन्द्रों में 800 से ज्यादा दवाइयां कम कीमत में बेची जा रही हैं। स्टेंट की कीमत नियंत्रित की गई है। गरीबों के लिए मुफ्त डायलिसिस के लिए विशेष योजना शुरू की गई है। गरीबों और मध्यम वर्ग को आवास योजनाओं में भी ब्याज दर में बड़ी राहत दी जा रही है। सरकारी सेवाएं, चाहे बस-ट्रेन का टिकट हो या फिर अलग-अलग प्रमाण-पत्र, सभी को ऑनलाईन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। दो से तीन दिन के भीतर घर पर आने वाला पासपोर्ट हो, या एक दिन में रजिस्टर होने वाली कंपनी, इससे देश के बड़े वर्ग को लाभ पहुंचा है। सर्टिफिकेट अटेस्टेड कराने की बाध्यता खत्म करने और ग्रुप सी व डी की नौकरी में इंटरव्यू खत्म किए जाने से लाखों नौजवानों के समय और पैसे की बचत हुई है। यह सरकार अनावश्यक नियमों-कायदों के साथ संघर्ष कर रहे हर व्यक्ति को आधुनिक तकनीक का उपयेग करते हुए राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है।

10. महोदया, इन सुधारों तथा कार्यक्रमों को लागू करते समय हमने ईमानदारी से कार्य किया है तथा किसी प्रकार के राजनीतिक हानि-लाभ को दरकिनार रखा है। हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि इन कार्यक्रमों के लाभ सभी पात्र लाभभोगियों तक पहुंचे तथा उन्हें सीधे उपलब्ध हों। अनेक सेवाएं तथा लाभ जनता को उसके द्वार पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं तथा वित्तीय लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचाए जा रहे हैं। इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है तथा लाभ एवं सेवाओं की सुपुर्दगी की लागत कम हुई तथा इस प्रकिया में बिचौलिए की भूमिका समाप्त हो गई है। भारत में शुरू की गई प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का तंत्र विश्व में अपने प्रकार का सबसे बड़ा है और विश्व भर को हमारे देश की सफलता की कहानी का संदेश देता है।

खंड-II
निवेश, व्यय तथा नीतिगत पहल
कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था

11. मेरी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। दशकों से देश की कृषि नीति तथा कार्यक्रम उत्पादन केन्द्रित रही थी। हमने इसमें एक मौलिक संकल्पनात्मक बदलाव लाया है। माननीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022 तक जबकि भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, किसानों की आय को दोगुनी करने के संबंध में आह्वान किया है। हमारा बल किसानों के लिए अधिक आय सृजित करने पर है। हम कृषि को एक उद्यम मानते हैं और किसानों को उसी भू-खण्ड से अपेक्षाकृत कम लागत पर अधिक उत्पादन करने तथा अपने उत्पादों के लिए अधिक मूल्य प्राप्त करने में सहायता करना चाहते हैं। हम किसानों तथा भूमिहीन परिवारों के लिए उत्पादक तथा लाभकारी आन-फार्म एवं नॉन-फार्म रोजगार सृजित करने पर भी बल दे रहे हैं।

12. अध्यक्ष महोदया, देश के किसानों के अथक परिश्रम का परिणाम है कि आज देश में कृषि उत्पादन रिकार्ड स्तर पर है। वर्ष 2016-17 में लगभग 275 मिलियन टन खाद्यान्न और लगभग 300 मिलियन टन फलों एवं सब्जियों का ऐतिहासिक उत्पादन हुआ है।

https://www.sarkarionlinejob.com/

13. अध्यक्ष महोदया, हमारे दल के घोषणा-पत्र में यह संकल्प है कि कृषि को लाभकारी बनाने के लिए किसान भाईयों को उनकी उत्पादन की लागत से कम-से-कम 50 प्रतिशत अधिक अर्थात लागत से डेढ़ गुना दाम मिले। सरकार इस संकल्प के प्रति संवेदनशील रही है। रबी की अधिकांश घोषित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत से कम से कम डेढ़ गुना तय किया जा चुका है। अब हमने बची हुई अधिघोषित फसलों के लिए भी इस संकल्प को एक सिद्धांत की तरह लागू करने का फैसला लिया है। मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि तय किये गए सिद्धांत के अनुसार, सरकार ने आगामी खरीफ से सभी अधिघोषित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत के कम-से-कम डेढ़ गुना करने का फैसला लिया है। मेरा विश्वास है कि यह ऐतिहासिक निर्णय किसान भाइयों की आय दोगुनी करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

14. हमारी सरकार किसी भी विषय को टुकड़ों-टुकड़ों में नहीं, समग्रता में सुलझाने की अप्रोच के साथ काम करती है। खाली न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा देना पर्याप्त नहीं है। यह अधिक महत्वपूर्ण है कि घोषित MSP का पूरा लाभ किसानों को मिले। इसके लिए यह आवश्यक है कि यदि बाजार में दाम MSP से कम हो तो सरकार या तो MSP पर खरीदी करे या किसी अन्य व्यवस्था के अंतर्गत किसान को पूरी MSP मिले। NITI आयोग, केंद्र एवं राज्य सरकारों के साथ चर्चा कर एक पुख्ता व्यवस्था तैयार करेगा जिससे किसानों को उनकी फसल का उचित दाम दिलाया जा सके।

15. बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए यह अवश्यक है कि किसान किसी फसल की बुआई के संबंध में अपने निर्णय उसकी कटाई के बाद उसके संभावित मूल्य को ध्यान में रखते हुए करें। सरकार मूल्य तथा मांग के संबंध में पूर्वानुमान लगाने, भावी तथा वैकल्पिक बाजार के प्रयोग, माल-गोदाम (वेयर हाउस) निक्षेपण प्रणाली के विस्तार तथा विशिष्ट निर्यात एवं आयात संबंधी उपायों के संबंध में निर्णय लेने हेतु उपयुक्त नीतियों एवं पद्धतियों को विकसित करने के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों के सहयोग से एक संस्थागत तंत्र सृजित करेगी।

16. अध्यक्ष महोदया, पिछले वर्ष मैंने ई-नैम को सुदृढ़ बनाने तथा ई-नैम के कवरेज को 585 एपीएमसी तक पहुंचाने के संबंध में घोषणा की थी 470 एपीएमसी ई-नैम नेटवर्क से संयोजित कर दिए गए हैं तथा शेष को मार्च, 2018 तक इस नेटवर्क से संयोजित कर दिया जाएगा।

17. हमारे 86 प्रतिशत से भी अधिक किसान अभी भी लघु एवं सीमांत किसान हैं। ये हर बार एपीएमसी में या अन्य थोक बाजारों में सीधे अपने उत्पादों को बेचने की स्थिति में नहीं होते। हम मौजूदा 22000 ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि बाजारों के रूप में विकसित तथा उन्नत करेंगे। इन ग्रामीण कृषि बाजारों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) और अन्य सरकारी स्कीमों का प्रयोग करके भौतिक अवसंरचना को सुदृढ़ किया जाएगा। इलेक्ट्रानिक रूप से ई-नैम से जुड़े तथा एपीएमसी के विनियमों से छूट प्राप्त ये ग्रामीण कृषि बाजार किसानों को सीधे उपभोक्ताओं एवं थोक खरीदारों को अपने उत्पाद बेचने की सुविधा उपलब्ध कराएंगे।

18. 22000 ग्रामीण कृषि बाजारों तथा 585 एपीएमसी में कृषि विपणन अवसंरचना के विकास तथा उन्नयन के लिए 2000 करोड़ रुपये की स्थायी निधि के साथ एक कृषि बाजार अवसंरचना कोष की स्थापना की जाएगी।

https://www.sarkarionlinejob.com/

19. सभी मौसम में प्रयोग में लाए जाने वाली सड़क अवसंरचना से युक्त सभी पात्र निवास स्थानों को जोड़ने का काम काफी हद तक पूरा हो गया है तथा इस संबंध में लक्ष्य को मार्च 2022 के स्थान पर मार्च, 2019 तक प्राप्त करना निर्धारित किया गया है। अब ग्रामीण निवास स्थानों को कृषि एवं ग्रामीण बाजारों, उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा अस्पतालों से जोड़ने वले बड़े लिंक मार्गों को शामिल करके इसकी परिधि को और अधिक सुदृढ़ एव विस्तृत करने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण-।।। में इन सभी लिंक मार्गों को शामिल किया जाएगा।

20. हम वर्षों से यह कहते रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है वैसे ही देश के जिले भी किसी न किसी कृषि उत्पाद के लिए जाने जा सकते हैं। लेकिन हमने इस पर विशेष ध्यान अब तक नहीं दिया है। जैसे उद्योग जगत के लिए क्लस्टर बेस्ड विकास का मॉडल अपनाया गया वैसे ही हमारे जिलों में कृषि उत्पाद को चिह्नित कर, वैज्ञानिक तरीके से क्लस्टर मॉडल पर विकास की आवश्यकता है।

21. एक समूह में बागवानी फसलों की खेती करने से विभिन्न प्रकार के संबंधित कार्यों से छूट मिलती है तथा इससे उत्पादन से लेकर विपणन तक की संपूर्ण श्रृंखला को लाभ पहुंचता है। इससे संबंधित जिलों को विशिष्ट फसलों के लिए मान्यता भी प्राप्त होगी। कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय तथा अन्य संबद्ध मंत्रालयों के साथ मिलकर अपनी चालू स्कीमों की समीक्षा करेगा तथा कृषि-जिन्सों एवं संबंधित क्षेत्रों के समूह आधारित विकास को बढ़ावा देगा।

22. हमारी सरकार ने जैविक कृषि को बढ़ावा दिया है। इसके लिए बड़े समूहों में जिनमें से प्रत्येक 1000 हेक्टेयर क्षेत्रफल का हो, कृषि उत्पादक संगठनों एवं ग्रामीण उत्पादक संगठनों द्वारा जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। महिला स्व-सहायता समूहों को भी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम के अंतर्गत समूहों में जैविक कृषि करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

23. हमारी पारिस्थितिकी अत्यधिक विशिष्ट औषधीय एवं सुगंध पौधों की खेती के भी अनुकूल है। भारत में बड़ी संख्या में लघु एवं कुटीर उद्योग भी चलाए जाते हैं, जिनमें इत्र, इन्हें विकसित करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले तेलों एवं अन्य संबंधित उत्पादों को तैयार किया जाता है। हमारी सरकार संगठित कृषि एवं संबद्ध उद्योग को सहायता उपलब्ध कराएगी। मैं इस प्रयोजनार्थ 200 करोड़ रुपये की राशि आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

24. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र प्रति वर्ष औसतन 8 प्रतिशत की दर से विकसित हो रहा है। प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए हमारा अग्रणी कार्यक्रम है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के लिए आबंटन की राशि 2017-18 के संशोधित अनुमान के 715 करोड़ रुपये से लगभग दोगुना करके 2018-19 में 1400 करोड़ रुपये किया जा रहा है। सरकार इस क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त कृषि प्रसंस्करण वित्तीय संस्थाओं को स्थापित करने को बढ़ावा देगी।

25. टमाटर, प्याज और आलू ऐसी प्रमुख सब्जियां हैं, जिन्हें पूरे वर्ष प्रयोग में लाया जाता है। तथापि, इन शीघ्र नष्ट हो जाने वाले जिन्सों के मौसमी एवं क्षेत्रीय उत्पादन के कारण किसानों एवं उपभोक्ताओं दोनों को संतुष्ट करते हुए उनके बीच पारस्परिक संपर्क स्थापित करना चुनौतीपूर्ण है।

https://www.sarkarionlinejob.com/

हमारी सरकार का प्रस्ताव "ऑपरेशन फ्लड" की तर्ज पर "ऑपरेशन ग्रीन्स" शुरू करने का है। "ऑपरेशन ग्रीन्स" किसान उत्पादक संगठनों, कृषि संभारतंत्र, प्रसंस्करण सुविधाओं तथा व्यावसायिक प्रबंधन को अपनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगा। मैं इस प्रयोजनार्थ 500 करोड़ रुपये की राशि आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

26. भारत से कृषि उत्पादों के निर्यात की संभावना काफी अधिक है, जो 100 बिलियन अमरीकी डालर तक हो सकती है जबकि मौजूदा निर्यात 30 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य का किया जाता है। इस संभावना को प्रयोग में लाने के लिए कृषि जिन्सों के निर्यात को उदार बनाया जाएगा। मैं सभी 42 मेगा फूड पार्कों में अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने का भी प्रस्ताव करता हूँ।

27. मैं, किसान क्रेडिट कार्डों की सुविधा मत्सिकी एवं पशुपालन से जुड़े किसानों को भी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूँ ताकि वे अपनी कार्य चालन पूंजी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इस व्यवस्था से छोटे और सीमांत किसानों को अधिक लाभ मिलेगा।

28. बांस "हरित सोना" है। हमने वन क्षेत्र से बाहर उगे बांस को पेड़ों की परिभाषा से अलग कर दिया है। अब मैं बांस क्षेत्र को एक सम्पूर्ण रूप में बढ़ावा देने के लिए 1290 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक पुनगर्ठित राष्ट्रीय बांस मिशन शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ।

29. अनेक किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए सौर जल पंपों को संस्थापित कर रहे हैं। सौर विद्युत उत्पादन द्वारा किसान अपने खेतों का प्रयोग करके सौर ऊर्जा का संचयन करते हैं। भारत सरकार इस संबंध में आवश्यक उपाय करेगी तथा राज्य सरकारों को एक ऐसा तंत्र विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी जिससे उनके अधिशेष सौर विद्युत को विद्युत वितरण कंपनियों या लाइसेंस धारकों द्वारा उचित लाभकारी मूल्यों पर खरीद लिया जाए।

30. हमारी सरकार ने सिंचाई निर्माण कार्यों की वित्त संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नाबार्ड में एक दीर्घावधिक सिंचाई कोष (एलटीआईएफ) स्थापित किया है। इस कोष के स्कोप को विस्तारित करके विशिष्ट कमान क्षेत्र विकास परियोजनाओं को कवर किया जाएगा।

31. गत वर्ष मैंने डेयरी उद्योग की आधारभूत सुविधाओं में वित्त निवेश में सहायता के लिए सूक्ष्म सिंचाई तथा डेयरी प्रसंस्करण अवसंरचना विकास कोष (डीपीआईडीएफ) के अंतर्गत कवरेज को विस्तार प्रदान करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई कोष (एमआईएफ) स्थापित करने की घोषणा की थी। अब इस प्रकार के निवेश कोषों को विस्तार प्रदान करने का समय है। अब मैं मत्सिकी क्षेत्र के लिए मत्स्य क्रांति अवसंरचना विकास कोष (बीआरआईडीएफ) तथा पशुपालन क्षेत्र की आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकता के वित्त पोषण के लिए पशुपालन हेतु आधारभूत सुविधा विकास कोष (एएचआईडीएफ) स्थापित करने की घोषणा करता हूँ। इन दोनों कोषों की कुल स्थायी निधि 10,000 करोड़ रुपये होगी।

32. हमारी सरकार कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण की राशि में वर्षानुवर्ष निरंतर वृद्धि करती रही है और यह राशि 2014-15 के 8.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2017-18 में 10 लाख करोड़ रुपये कर दी गई है। मैं अब इस राशि को वर्ष 2018-19 में 11 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूँ।

https://www.sarkarionlinejob.com/

33. वर्तमान में पट्टाधारी किसान फसल ऋण का लाभ नहीं उठा पाते। इसके परिणामस्वरूप कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा परती पड़ा रहता है तथा पट्टाधारी किसान सूदखोर महाजनों से ऋण लेने के लिए बाध्य हो जाते हैं। नीति आयोग राज्य सरकारों से परामर्श करके भू-स्वामियों के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना पट्टाधारी किसानों को ऋण सुलभ कराने के लिए एक उपयुक्त तंत्र विकसित करेगा।

34. सरकार किसानों को अपने आदानों की आवश्यकता, फार्म सेवाओं, प्रसंस्करण तथा विक्रय प्रचालनों से संबंधित आवश्यकता ज्ञात करने में सहायता के लिए फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों के लिए अनुकूल कराधान व्यवस्था लागू करेगी। इस संबंध में मैं अपने भाषण के भाग-ख में ब्यौरा प्रस्तुत करूंगा।

35. एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण चिंता का विषय रहा है। वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान करने तथा फसल अवशिष्ट के खेत में ही प्रबंधन के लिए आवश्यक मशीनरी हेतु सब्सिडी प्रदान करने के लिए हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकारों के द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष स्कीम लागू की जाएगी।

36. अध्यक्ष महोदया, देश का वर्तमान शीर्ष नेतृत्व गरीबी को बहुत करीब से देखकर, गरीबी में जीकर यहां तक पहुंचा है। एससी/एसटी वर्गों की पिछड़ों की, आथिर्क रूप से कमजोर वर्ग की जो चिंताएं होती हैं, उनसे भली-भांति परिचित है। गरीब और मध्यम वर्ग उनके लिए केस स्टडी नहीं, बल्कि वो खुद एक केस स्टडी हैं।

37. पिछले तीन वर्षों में सरकार की योजनाओं के केंद्र में गरीब रहा है, मध्यम वर्ग रहा है। ये सरकार गरीब की छोटी-छोटी चिंताओं और बड़ी-बड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है।

38. गरीब महिलाओं को लकड़ी के धुएं से मुक्ति मिले, इसलिए हमने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की थी। शुरूआत में हमने 5 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन का लक्ष्य रखा था। लेकिन इस योजना की गति देखकर और महिलाओं में इसकी लोकप्रियता देखकर हम इसका लक्ष्य बढ़ाने जा रहे हैं। अब सरकार उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देगी।

39. देश के हर गरीब के घर में रोशनी पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना की शुरूआत की गई है। इस योजना के तहत देश के 4 करोड़ गरीबों के घरों को बिना कोई शुल्क लिए बिजली कनेक्शन से जोड़ा जा रहा है। इस योजना पर 16 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। घर में एक घंटा बिजली ना आए तो हम लोग इधर-उधर दौड़ने लगते हैं, टीवी कैसे चलेगा, मोबाइल कैसे चार्ज होगो, लैपटॉप का क्या होगो, यह सोचने लगते थे। आप लोगों का सोचिए, उन महिलाओं और उन बच्चों के बारे में सोचिए, जिनके घर में अब बिजली पहुंचेगी। किस तरह उनकी जिंदगी प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना बदलने जा रही है।

40. गरीब को सरकार के स्वच्छ भारत मिशन से भी बड़ा लाभ पहुंचा है। इस मिशन के तहत सरकार अब तक 6 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण करा चुकी है। इन शौचालयों का सकारात्मक प्रभाव नारी की गरिमा, बेटियों की शिक्षा और पूरे परिवार की स्वास्थ्य सुरक्षा पर स्पष्ट रूप से पड़ रहा है। अगले वित्तीय वर्ष में हमारा लगभग दो करौड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य है।

https://www.sarkarionlinejob.com/

41. अध्यक्ष महोदया, गरीब की एक और चिंता रही है- सिर पर एक अदद छत की। भ्रष्टाचार करके जुटाई गई बेनामी संपत्तियों से दूर, गरीब तो बस ईमानदारी की कमाई से एक छत, एक छोटा सा मकान चाहता है। गरीब, अपने घर का सपना पूरा कर सके, इसके लिए हमारी सरकार, उसकी पूरी मदद कर रही है। हमने लक्ष्य रखा है 2022 तक देश के हर गरीब के पास उसका अपना घर हो। इसके लिए ग्रामीण और शहरी इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 2017-18 में 51 लाख और वर्ष 2018-19 में 51 लाख यानि एक करोड़ से ज्यादा घर सिर्फ ग्रामीण इलाकों में बनाए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में 37 लाख मकान बनाने के लिए मदद स्वीकृत की गई है।

42. हमारी सरकार राष्ट्रीय आवास बैंक में समर्पित सस्ती आवासन निधि की भी स्थापना करेगी, जिसे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को देय उधार में हुई कमी से और भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत पूर्णतः शोधित बांडों द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा।

43. महिलाओं के स्व-सहायता समूहों के ऋण को पिछले वर्ष के मुकाबले 37% बढ़ाकर वर्ष 2016-17 में लगभग 42,500 करोड़ रुपए करा दिया गया था। हमारी सरकार पूरी तरह आश्वस्त है कि मार्च, 2019 तक स्व-सहायता समूहों को ऋण राशि बढ़ाकर 75,000 करोड़ रुपये कर दी जाएगी। मैं 2018-19 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम के आवंटन को पर्याप्त रुप से बढ़ाकर 5750 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं।

44. प्रधान मंत्री हर खेत को पानी योजना के तहत भू-जल सिंचाई स्कीम, सिंचाई से वंचित 96 जिलों में शुरु की जाएगी जहां वर्तमान में 30% से भी कम खेतों की सिंचाई सुनिश्चित हो पाती है। इस प्रयोजन के लिए मैंने 2600 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।

45. जैसा कि मेरे प्रस्ताव की रुपरेखा संकेत करती है, अगले वर्ष सरकार का ध्यान रोजी-रोटी, कृषि और संबद्ध कार्यकलापों और ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं निर्माण पर और अधिक धनराशि खर्च करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने पर होगा। वर्ष 2018-19 में, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका और आधारभूत सुविधाओं के सृजन के लिए मंत्रालयों द्वारा खर्च की जाने वाली राशि 14.34 लाख करोड़ रुपये होगी, इसमें 11.98 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजटीय संसाधन शामिल हैं। खेती संबंधी कार्यकलापों और स्व-रोजगार के कारण रोजगार के अलावा, इस खर्च से 321 करोड़ मानव दिवस के रोजगार, 3.17 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों, 51 लाख नए ग्रामीण मकानों, 1.88 करोड़ शौचालयों का सृजन होगा और इससे कृषि को प्रोत्साहन मिलने के अतिरिक्त 1.75 करोड़ नए परिवारों को बिजली के कनेक्शन प्राप्त होंगे। ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है।

स्वास्थ्य शिक्षा तथा सामाजिक संरक्षण

46. हमारी सरकार का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को सहायता और अवसर प्रदान करना है ताकि वह अपने आर्थिक और सामाजिक सपनों को पूरा करने की अपनी पूरी संभावित क्षमता का उपयोग कर सकें। हमारी सरकार, सामाजिक-आर्थिक जातीय जनगणना के अनुसार वृद्धों, विधवाओं, बेसहारा बच्चों, दिव्यांगजनों और वंचित लोगों के प्रत्येक परिवार तक पहुंचने के लिए एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम पर आवंटित 2018-19 में 9975 करोड़ रुपए रखा गया है।

https://www.sarkarionlinejob.com/

47. हमने बच्चों को स्कूल में पढ़ते हुए देखने की व्यवस्था की है किन्तु शिक्षा की गुणवत्ता अभी भी एक गंभीर चिन्ता बनी हुई है। अब हमने शिक्षण के परिणाम परिभाषित किए है और जमीनी हकीकत का मूल्यांकन करने के लिए 20 लाख से अधिक बच्चों का राष्ट्रीय सर्वेक्षण कराया गया है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए जिला-वार रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी। अब हमारा प्रस्ताव नर्सरी पूर्व से कक्षा 12 तक बिना किसी विखंडन के शिक्षा को व्यवहार्य माने जाने का है।

48. अध्यापकों की गुणवत्ता सुधारने से देश में शिक्षा की गुणवत्ता भी जरुर बढ़ेगी। शिक्षकों के लिए एक एकीकृत बी.एड कार्यक्रम प्रारम्भ करेंगे। सेवा के दौरान शिक्षकों का प्रशिक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हमने 13 लाख से अधिक अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन किया है।

49. शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने में प्रौद्योगिकी सर्वाधिक उपयोगी संचालक होगी। हमारा प्रस्ताव शिक्षा में डिजिटल तीव्रता बढ़ाने और धीरे-धीरे "ब्लैक बोर्ड" से "डिजिटल बोर्ड" की दिशा में बढ़ने का है। हाल ही में संचालित "दीक्षा" डिजिटल पोर्टल के जरिए शिक्षकों के कौशल उन्नयन के लिए प्रौद्योगिकी का भी प्रयोग किया जाएगा।

50. सरकार, जनजातीय बच्चों को अपने स्वयं के माहौल में अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अभियान को आगे ले जाने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2022 तक, अनुसूचित जन जाति की 50% से अधिक जनसंख्या वाले और कम से कम 20,000 आदिवासी व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लाक में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय होगा। एकलव्य विद्यालय, नवोदय विद्यालय के समतुल्य होगा और इसमें खेलकूद और कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा स्थानीय कला और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए विशेष सुविधाएं होंगी।

51. स्वास्थ्य संस्थानों सहित, प्रमुख शैक्षाणिक संस्थानों में अनुसंधान और संबंधित अवसंरचना में निवेश की गति में तेजी लाने के लिए, मैं अगले चार वर्षों में 1,00,000 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ "2022 तक शिक्षा में आधारभूत सुविधाओं और प्रणालियों को पुनःजानदार बनाने (राइज)" नामक एक बड़ी पहल प्रारम्भ करने का प्रस्ताव करता हूं। इस पहल के वित्तपोषण के लिए उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (हेफा) को उपयुक्त रुप से तैयार किया जाएगा।

52. हमारी सरकार ने श्रेष्ठ संस्थानों की स्थापना के लिए बड़ी पहल की है। सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों में संस्थानों द्वारा इस पहल की जबर्दस्त प्रतिक्रिया रही है। हमें 100 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए है। हमने बड़ोदरा में विशिष्ट रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भी कदम उठाए हैं।

53. हम चुनौती विधि पर चयन किए जाने वाले आयोजना और स्थापत्य कला के दो नए पूर्णतः सुसज्जित स्कूलों की स्थापना का प्रस्ताव करते हैं। इसके अतिरिक्त आईआईटी/एनआईटी में 18 नए एसपीए की भी चुनौती विधि से स्वायत्त निकायों के रुप में स्थापना की जाएगी।

54. इस वर्ष सरकार "प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता (पीएमआरएफ) नामक पहल प्रारंभ करेगी। इस पहल के अंतर्गत, हम श्रेष्ठ संस्थानों से हर वर्ष 1,000 उत्कृष्ट बी.टेक छात्रों की पहचान करेंगे और उन्हें एक अच्छी अध्येतावृत्ति के साथ आईआईटी/आईआईएससी में पी.एच.डी. करने के लिए

https://www.sarkarionlinejob.com/

सुविधाएं प्रदान करेंगे। आशा है कि ये उदीयमान युवा साथी उच्च शैक्षाणिक संस्थानों में स्वेच्छा से पढ़ाने के लिए सप्ताह में कुछ घंटे देंगे।

55. अब मैं स्वास्थ्य क्षेत्र पर आता हूं। सर्वेभवन्तुः सुखिन, सर्वे संतुः निरामया" हमारी सरकार का मार्गदर्शक सिद्धांत है। केवल स्वच्छ भारत ही समृद्ध भारत बन सकता है। यदि भारत के नागरिक स्वास्थ नहीं होंगे तो इसके बिना अपना देश युवा साथियों का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता।

56. मैं, निवारण और स्वास्थ्य संवर्धन दोनों को शामिल करके प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक देख-रेख प्रणाली में स्वास्थ्य समस्या से व्यावहारिक ढंग से निपटने के लिए पथ अवरोधक हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से बनाए गए "आयुष्मान भारत" के भाग के रुप में दो प्रमुख पहलों की घोषणा करता हूं।

57. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की नींव के रुप में स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों की परिकल्पना की गई है। ये 1.5 लाख केंद्र, स्वास्थ्य देख-रेख प्रणाली को लोगों के घरों के पास लाएंगे। ये स्वास्थ्य केन्द्र असंचारी रोगों और मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य सेवाओं सहित व्यापक स्वास्थ्य देख-रेख उपलब्ध कराएंगे। ये केन्द्र आवश्यक दवाइयां और नैदानिक सेवाएं भी मुफ्त उपलब्ध करवाएंगे। मैं इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए इस बजट में 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान करने के लिए वचनबद्ध हूं। मैं इन केंद्रों को अपनाने में सीएसआर और लोकोपकारी संस्थाओं के जरिए निजी क्षेत्र को योगदान के लिए आमंत्रित करता हूं।

58. अध्यक्ष महोदय, हम सब यह जानते हैं कि हमारे देश में लाखों परिवारों को अस्पतालों में अंतरंग (इंडोर) इलाज कराने के लिए उधार लेना पड़ता है या संपत्तियां बेचनी पड़ती है। सरकार, निर्धन और कमजोर परिवारों की ऐसी दरिद्रता के बारे में अत्याधिक चिंतित है। मौजूदा राष्ट्रीय स्वास्थ बीमा योजना स्कीम गरीब परिवारों को 30,000/- रुपये की वार्षिक कवरेज प्रदान करती है। अनेक राज्य सरकारों ने भी कवरेज में विविधता उपलब्ध कराके स्वास्थ्य संरक्षण योजनाएं कार्यन्वित अनुपूरित की हैं। अब हमारी सरकार ने स्वास्थ्य संरक्षण को और अधिक आकांक्षा वाला स्तर प्रदान करने का निर्णय लिया है।

59. हम 10 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों (लगभग 50 करोड़ लाभार्थी) को दायरे में लाने के लिए एक फ्लेगशिप राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना प्रारम्भ करेंगे जिसके तहत द्वितीयक और तृतीयक देख-रेख अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष तक का कवरेज प्रदान किया जाएगा। यह विश्व का सबसे बड़ा सरकारी वित्तपोषित स्वास्थ्य देख-रेख कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम के सुचारु कार्यान्वयन हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।

60. अध्यक्ष महोदया, आयुष्मान भारत के तहत ये दो दूरगामी पहलें वर्ष 2022 तक एक नए भारत का निर्माण करेंगी और इनसे संवर्धित उत्पादकता, कल्याण में वृद्धि होगी और इनसे मजदूरी की हानि और दरिद्रता से बचा जा सकेगा। इन योजनाओं से, खासकर महिलाओं के लिए रोजगार के लाखों अवसर भी सृजित होंगे। सरकार सर्वजन स्वास्थ्य कवरेज के लिए स्थायी रुप से किंतु निश्चित रुप से उत्तरोत्तर अग्रसर है।

https://www.sarkarionlinejob.com/

61. किसी दूसरी संक्रामक बीमारी की तुलना में टीबी से हर वर्ष अधिक जानें जाती हैं। यह मुख्य रुप से गरीब और कुपोषित लोगों को प्रभावित करती है। इसलिए हमारी सरकार टी.बी. से पीड़ित सभी रोगियों को उनके उपचार की अवधि के दौरान 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से पोषणाहार सहायता प्रदान करने के लिए 600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि आवंटित की है।

62. गुणवत्तायुक्त चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य देख-रेख की पहुंच में और वृद्धि करने के उद्देश्य से, हम देश में मौजूदा जिला अस्पतालों को अपग्रेड करके 24 नए सरकारी चिकित्सा कालेजों और अस्पतालों की स्थापना करेंगे। इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक 3 संसदीय क्षेत्रों के लिए कम से कम एक चिकित्सा कालेज और देश के प्रत्येक राज्य में कम से कम एक सरकरी चिकित्सा कालेज है।

63. हमारे गांवों को खुले में शौच से मुक्त करने के हमारे संकल्प का उद्देश्य अपने गांवों के जीवन को बेहतर बनाना है। हम जानवरों के गोबर और ठोस अपशिष्ट को कम्पोस्ट, उर्वरक, बायो गैस और बायो-सीएनजी के रुप में बदलने के लिए खेतों में इसके प्रबंधन और रुपांतरण हेतु गाल्वेनाइनिंग ऑर्ग्रेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन (गोबर-धन) नामक योजना प्रारम्भ करेंगे।

64. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) से केवल 330/- रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम के भुगतान पर 5.22 करोड़ परिवार 2 लाख रुपये के जीवन बीमा कवर से लाभान्वित हुए हैं। इसी प्रकार, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 12 रुपये प्रतिवर्ष के प्रीमियम के भुगतान पर 13 करोड़ 25 लाख व्यक्तियों को 2 लाख रुपये के व्यक्तिगत दुर्घटना कवर के साथ बीमित किया गया है। सरकार सभी गरीब परिवारों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों सहित, को इसके तहत एक मिशन मोड में शामिल करने का प्रयास करेगी।

65. सरकार समस्त साठ करोड़ बुनियादी खातों को प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लाकर इसके दायरे का विस्तार करेगी और इन खातों के जरिए सूक्ष्म बीमा और असंगठित क्षेत्र पेंशन योजनाओं की सेवा प्रदान करने हेतु उपाय करेगी।

66. ''बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं'' के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटल है। जनवरी, 2015 में शुरू की गई सुकन्या समृद्धि खाता योजना बहुत सफल रही है। यह योजना शुरू करने से लेकर नवंबर, 2017 तक बालिका के नाम से देश भर में 1.26 करोड़ खाते खोले गए हैं जिनमें 19,183 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

67. गंगा की सफाई, राष्ट्रीय महत्व का कार्य है और हम इस पर दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस कार्य ने गति पकड़ ली है। नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत 16,713 करोड़ रुपये की लागत से आधारभूत सुविधाओं विकास, नदी तल की सफाई, ग्रामीण स्वच्छता और अन्य कार्यक्रमों हेतु कुल 187 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। 47 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और शेष परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। सभी 4465 गंगा ग्रामों- नदी के किनारे पर बसे गांव को खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है।

68. सरकार ने केन्द्रित ध्यान देने और समावेशी समाज का सपना पूरा करने के लिए विकास के विभिन्न आयामों को ध्यान में रखते हुए ऐसे 115 महत्वाकांक्षी जिलों की पहचान की है। सरकार

https://www.sarkarionlinejob.com/

का उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषाहार, कौशल उन्नयन, वित्तीय समावेशन जैसी सामाजिक सेवाओं तथा सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, स्वच्छ पेयजल जैसी आधारभूत सुविधाओं तथा तीव्र गति व समयबद्ध तरीके से शौचालयों तक पहुंच में निवेश करते हुए इन जिलों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। हमें आशा है कि ये जिले विकास के माडल बनेंगे।

69. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कठोर परिश्रम करने वाले व्यक्तियों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति हेतु सरकार ने खास ध्यान दिया है। हमारी सरकार ने 279 कार्यक्रमों में अनुसूचित जातियों के लिए कुल अलग से रखा गया आबंटन 2016-17 में 34,334 करोड़ रुपये से बढ़ाकर सं.अ. 2017-18 में 52,719 करोड़ रुपये कर दिया है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजातियों के लिए 305 कार्यक्रमों के लिए अलग से रखा गया आबंटन 2016-17 में 21,811 करोड़ रुपये से बढ़ाकर सं.अ. 2017-18 में 32,508 करोड़ रुपये कर दिया गया है। मैं, ब.अ. 2018-19 में अलग से रख गया आबंटन अनुसूचित जातियों के लिए 56619 करोड़ रुपये और अनुसूचित जनजातियों के लिए 39,135 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूँ।

70. सरकार का स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर अनुमानित स्कीमवार बजटीय व्यय 2017-18 में 1.22 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय की तुलना में 2018-19 में 1.38 लाख करोड़ रुपये है। इनके ब्यौरे अनुबंध-।। में दिए गए हैं। यह व्यय अतिरिक्त आबंटन और उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी के जरिए सहित बजट बाह्य व्यय के कारण 2018-19 में कम से कम 15,000 करोड़ रुपये बढ़ने की संभावना है।

मध्यम, लघु तथा सूक्ष्म उद्यम एवं रोजगार

71. लघु और मध्यम उद्यम देश की प्रगति तथा रोजगार के प्रमुख वाहक हैं। मैंने एमएसएमएमी क्षेत्र को ऋण सहायता, पूंजी और ब्याज सब्सिडी तथा नवोन्मेष के लिए 3794 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। विमुद्रीकरण और जीएसटी लागू होने के पश्चात् देश में लघु और मध्यम उद्यमों के व्यवसायों का प्रभावशाली आकार बढ़ रहा है। यह लघु और मध्यम उद्यमों के व्यवसायों और वित्त साधनों के प्रचुर वित्तीय सूचना डाटाबेस बना रहा है। यह बड़ा डाटा लघु और मध्यम उद्यमों की कार्यशील पूंजी सहित पूंजी की जरूरतों के वित्तपोषण में सुधार करने हेतु प्रयोग किया जाएगा।

72. यह प्रस्ताव है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों और कारपोरेटों को ट्रेड इलैक्ट्रानिक रिसिवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम पर आनबोर्ड किया जाए और इसे जीएसटीएन के साथ जोड़ा जाए। यह एमएसएमई को बृहत वित्तपोषण में सक्षम बनाएगा और उनके द्वारा सामना की जा रही नकदी प्रवाहों की चुनौतियों को काफी सुखद भी बनाएगा। बैंकों द्वारा शीघ्र निर्णय लेने के लिए एमएसएमई हेतु आनलाइन ऋण स्वीकृति सुविधा सुधारी जाएगी। सरकार एमएसएमई की अनर्जक आस्तियों और भारग्रस्त खातों के प्रभावी समाधान के उपायों की शीघ्र घोषणा करेगी। मैं एमएसएमई पर करों का भार घटाने और अनेक नौकरियां सृजित करने के लिए अपने भाषण के भाग-ख में कुछ कर उपायों की घोषणा करूंगा।

73. अप्रैल, 2015 में शुरू की गई मुद्रा योजना में 10.38 करोड़ मुद्रा ऋणों से उधार के लिए 4.6 लाख करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। ऋण के 76 प्रतिशत खाते महिलाओं के हैं और 50

https://www.sarkarionlinejob.com/

प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित हैं। पिछले सभी 3 वर्षों में लक्ष्य से अधिक सफलता प्राप्त करने के पश्चात 2018-19 में मुद्रा के अंतर्गत उधार देने के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित करने का प्रस्ताव है।

74. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने विमुद्रीकरण के पश्चात एमएसएमई का वित्तपोषण बढ़ाया है। एनबीएफसी मुद्रा के अंतर्गत ऋण देने के लिए बहुत शक्तिशाली साधन हो सकती हैं। एनबीएफसी बेहतर वित्तपोषण हेतु मुद्रा द्वारा निर्धारित पुनर्वित्तपोषण नीति और पात्रता मापदंडों की पुनरीक्षा की जाएगी।

75. वित्तपोषण की गुंजाइश में फिनटेक का प्रयोग एमएसएमई के विकास में सहायता करेगा। वित्त मंत्रालय में एक समूह इस नीति और भारत में बढ़ने के लिए फिनटेक कंपनियों हेतु अच्छा माहौल बनाने हेतु जरूरी संस्थागत विकासात्मक उपायों की जांच कर रहा है।

76. उपक्रम पूंजी निधियों और ईमानदार निवेशकों को उनकी संवृद्धि हेतु नवोन्मेषी और विशेष विकासात्मक व नियामक व्यवस्था की जरूरत होगी। हमने "स्टार्ट-अप इंडिया" कार्यक्रम शुरू करके, देश में बहुत ठोस वैकल्पिक निवेश व्यवस्था बनाकर तथा उपक्रम पूंजी निधियों व ईमानदार निवेशकों के विशेष स्वरूप के लिए तैयार की गई कराधान व्यवस्था आरंभ करने सहित अनेक नीतिगत उपाय किए हैं। हम उनके विकास और भारत में वैकल्पिक निवेश निधियों के सफल कार्यचालन हेतु माहौल सुदृढ़ करने के अतिरिक्त उपाय करेंगे।

77. नौकरी के अवसर सृजित करना और रोजगार सृजन सुगम बनाना, हमारे नीति-निर्माण का केन्द्र बिन्दु रहा है। पिछले तीन वर्ष के दौरान, हमने देश में रोजगार सृजन बढ़ाने के अनेक उपाय किए हैं। इन उपायों में ये शामिल हैं:

- सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए कर्मचारी भविष्य निधि में नए कर्मचारियों का 8.33 प्रतिशत अंशदान।
- कपड़ा और चमड़ा तथा फुटवियर जैसे बड़ी संख्या में व्यक्तियों को रोजगार देने वाले क्षेत्रों में तीन वर्ष के लिए नए कर्मचारियों की कर्मचारी भविष्य निधि में 12 प्रतिशत का अंशदान।
- आयकर अधिनियम के अंतर्गत नए कर्मचारियों को अदा किए गए पारिश्रमिक के 30 प्रतिशत की अतिरिक्त कटौती।
- सरकार द्वारा 2020 तक 50 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए वजीफा देते हुए राष्ट्रीय प्रशिक्षु स्कीम शुरू करना और बुनियादी प्रशिक्षण का खर्च बांटना।
- परिधान अैर फुटवियर क्षेत्र हेतु नियतकालिक रोजगार की शुरूआत करना।
- क्रेचों की व्यवस्था के साथ ही सवेतन मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना।

https://www.sarkarionlinejob.com/

78. इन कदमों ने परिणाम दिखाने शुरू कर दिए हैं। हाल ही में किए गए स्वतंत्र अध्ययन ने दर्शाया है कि इस वर्ष 70 लाख औपचारिक नौकरियां सृजित होंगी।

79. इस गति को बढ़ाने के लिए मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी है कि सरकार अगले तीन वर्ष तक सभी क्षेत्रों की कर्मचारी भविष्य निधि में नए कर्मचारियों के वेतन के 12 प्रतिशत का अंशदान करेगी। इसके अतिरिक्त, नियत काल के रोजगार की सुविधा सभी क्षेत्रों तक दी जाएगी।

80. अनौपचारिक क्षेत्र में आधिकाधिक महिलाओं के रोजगार को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें अपेक्षाकृत अधिक निवल वेतन प्राप्त करने के लिए भविष्य निधि में महिला कर्मचारियों के अंशदान को प्रथम तीन वर्षों के लिए विद्यमान 12% अथवा 10% से अब मालिक के अंशदान में किसी परिवर्तन के बिना 8% करने के लिए मैं कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 में संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूं।

81. सरकार प्रधानमंत्री कौशल केन्द्र कार्यक्रम के अंतर्गत देश के हर जिले में माडल महत्वाकांक्षी कौशल केन्द्र स्थापित कर रही है। ऐसे केन्द्रों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण देने के लिए 306 प्रधानमंत्री कौशल केन्द्र खोले गए हैं।

82. परिधान और तैयार संघटकों को बढ़ावा देने के लिए 2016 में 6,000 करोड़ रुपये का व्यापक कपड़ा क्षेत्र पैकेज अनुमोदित किया गया था। मैं अब वस्त्र क्षेत्र के लिए 2018-19 के लिए 7148 करोड़ रुपये का परिव्यय उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूँ।

आधारभूत सुविधाओं तथा वित्तीय क्षेत्र में हुए विकास

83. आधारभूत सुविधाओं अर्थव्यवस्था के विकास का चालक है। हमारे देश के सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोत्तरी करने, सड़कों, हवाई अड्डों, रेलवे, बंदरगाहों और अंतर्देशीय जलमार्गों के नेटवर्क से देश को जोड़ने व एकीकृत करने तथा अपने नागरिकों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचना में 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के अनुमानित भारी भरकम निवेशों की जरूरत होगी।

84. हमने रेल व सड़क क्षेत्रों में अब तक का सबसे ज्यादा आबंटन किया है। हम सरकारी निवेश और बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विद्युत हेतु कोयला, रेलवे हेतु विद्युत और कोयले के लिए रेलवे रेक जैसे मुख्य संपर्कों की व्यवस्था युक्तिसंगत और बहुत सक्षम बनाई गई है। प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से नियमित आधार पर विनिर्माण क्षेत्रों में लक्ष्यों और उपलब्धियों की पुनरीक्षा करते हैं। अकेली प्रगति की आनलाइन मानीटरिंग प्रणाली का प्रयोग करते हुए 9.46 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं सुगम व तीव्र गति में लाई गई हैं।

85. भारत की सुरक्षा के लिए हम सीमावर्ती क्षेत्रों में संपर्कता आधारभूत सुविधाओं का विकास कर रहे हैं। लद्दाख क्षेत्र को सभी मौसमों में जोड़े रखने के लिए रोहतांग सुरंग पूरी हो चुकी है। 14 किमी से अधिक की जोजिला पास सुरंग के निर्माण का ठेका सही प्रगति कर रहा है। मैं अब सेला पास के तहत सुरंग के निर्माण शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ। सरकार पर्यटन और आपातकालीन चिकित्सा सेवा के संवर्धन हेतु समुद्री प्लेन के कार्यकलापों में निवेश बढ़ाने के लिए आवश्यक ढांचा बढ़ाएगी।

https://www.sarkarionlinejob.com/

86. शहरीकरण अवसर और हमारी प्राथमिकता है। मेरी सरकार ने परस्पर जुड़े दो कार्यक्रम- स्मार्ट शहर मिशन और अमृत- शुरू किए हैं।

87. स्मार्ट शहर मिशन का लक्ष्य 100 शहरों को आधुनिक सुविधाओं वाला बनाना है। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि 2.04 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से 99 शहरों का चयन किया गया है। इन शहरों ने स्मार्ट कमांड और नियंत्रण केन्द्रों, स्मार्ट सड़कों, सौर छतों, इंटेलिजेंट परिवहन प्रणालियों, स्मार्ट पार्कों जैसी विभिन्न परियोजनाओं को क्रियान्वित करना शुरू कर दिया है। 2350 करोड़ रुपये की परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 20,852 करोड़ रुपये के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। भारत में विरासत शहरों की मौलिकता सहेज कर रखने व सजीव करने के लिए राष्ट्रीय विरासत श्हर विकास और सदृढ़ीकरण योजना (हृदय) बड़े तौर पर शुरू की गई है।

88. भारत में पर्यटन स्थलों की प्रचुरता है। यह प्रस्ताव है कि दस प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को आधारभूत सुविधाओं व कौशल विकास वाला व्यावहारिक दृष्टिकोण, प्रौद्योगिकी का विकास, निजी निवेश आकर्षित करके, ब्रांडिंग व विपणन का अनुसरण करते हुए आदर्श पर्यटन गंतव्यों में विकसित किया जाए। इसके अतिरिक्त, आगंतुकों का अनुभव बढ़ाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 100 आदर्श स्मारकों में पर्यटक सुविधाओं का उन्नयन किया जाएगा।

89. अमृत कार्यक्रम 500 शहरों के सभी परिवारों को जलापूर्ति की व्यवस्था करने पर केन्द्रित है। अमृत योजना के अंतर्गत 500 शहरों के लिए 77,640 करोड़ रुपये की राज्य स्तरीय योजनाएं अनुमोदित की गई हैं। 19,428 करोड़ रुपये की लागत से 494 परियोजनाओं हेतु जलापूर्ति संविदाएं और 12,429 करोड़ रुपये की लागत वाली 272 परियोजनाओं हेतु सीवरेज कार्य की संविदा प्रदान की जा चुकी है।

90. इन मिशनों द्वारा सुधारों को उत्प्रेरित किया जा रहा है। 482 शहरों की क्रेडिट रेटिंग शुरू हो गई है। 144 शहरों को निवेश ग्रेड की रेटिंग मिल चुकी है।

91. मेरा मंत्रालय सामरिक और बड़े सामाजिक लाभ वाले शैक्षणिक और स्वास्थ्य आधारभूत सुविधाओं में निवेशों सहित आधारभूत सुविधा परियोजनाओं के वित्तपोषण में सहायता करने के लिए इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कारपोरेशन लि. को शक्ति प्रदान करेगा।

92. सरकार ने सड़क अवसंरचना क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ है। हमें 2017-18 के दौरान 9000 किलोमीटर से अधिक लंबाई वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को पूरा करने का विश्वास है। देश के भीतरी और पिछड़े क्षेत्रों व सीमाओं को निर्बाध संपर्कता उपलब्ध कराने के लिए 5,35,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से चरण-1 में लगभग 35,000 किलोमीटर के सड़क निर्माण हेतु महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना अनुमोदित की गई है। एनएचएआई अपनी तैयार सड़क आस्तियों हेतु बाजार से इक्विटी जुटाने के लिए अपनी सड़क आस्तियों को विशेष प्रयोजनी साधन बनाने और टोल, चलाओ और अंतरण तथा आधारभूत सुविधा निवेश निधियों जैसे नए मुद्रीकरण ढ़ांचों का प्रयोग करने पर विचार करेगा।

93. रेलवे नेटवर्क मजबूत करना और रेलवे की ढुलाई क्षमता बढ़ाना, सरकर का प्रमुख केन्द्र बिंदु रहा है। वर्ष 2018-19 के लिए रेलवे कैपेक्स 1,48,528 करोड़ रुपये रखा गया है। कैपेक्स

https://www.sarkarionlinejob.com/

का बड़ा हिस्सा क्षमता सृजन के लिए है। 18000 किलोमीटर के दोहरीकरण/तीसरी/चौथी लाइन के निर्माण कार्य और 5000 किलोमीटर के गेज परिवर्तन क्षमता के अवरोधों को समाप्त कर देंगे और लगभग समूचे नेटवर्क को ब्राड गेज में बदल देंगे।

94. वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। हम लोग रेलवे नेटवर्क के इष्टतम विद्युतीकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान 4000 किलोमीटर के प्रारंभण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

95. पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल भाड़ा गलियारों से संबंधित कार्य जोर-शोर से चल रहा है। वर्ष 2018-19 के दौरान पर्याप्त चल स्टॉक 12000 वैगनों, 5160 कोचों और लगभग 700 लोकोमोटिव की खरीदारी की जा रही है। माल शेडों में अवसंरचना को सुदृढ़ करने तथा निजी साइडिंग के फास्ट ट्रैक शुरू करने के लिए एक वृहत कार्यक्रम शुरू किया गया है।

96. 'सुरक्षा सर्वप्रथम' नीति में सुधार पर बल दिया जाता है जो रेलवे की आधारशिला है और जिसे राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के अंतर्गत पर्याप्त निधियों का आबंटन किया जाता है। पटरियों की अवसंरचना के रख-रखाव पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। चालू राजकोषीय वर्ष में रेल की लगभग 3600 किमी पटरियों के नवीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । अन्य प्रमुख कदमों में फाग सेफ तथा "ट्रेन प्रोटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम" जैसी प्रौद्योगिकियों का प्रयोग बढ़ाना शामिल है। अगले दो वर्षों में 4267 मानवरहित लेवल क्रासिंग को समाप्त कर बीजी नेटवर्क में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है।

97. इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कंपनी लि. द्वारा 600 प्रमुख रेलवे स्टेशनों को पुनः विकसित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। 25000 से अधिक आगंतुकों वाले सभी स्टेशनों में एस्कलेटर होंगे। सभी रेलवे स्टेशनों और रेलगाडियों में वाई-फाई सुविधा प्रदान की जाएगी। सभी स्टेशनों पर और रेलगाडियों में सीसीटीवी उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि यात्रियों की संरक्षा बढ़ाई जा सके। इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री, पेराम्बुर में उन्नत सुविधाओं ओर विशेषताओं से युक्त आधुनिक ट्रेन-सेट तैयार किए जा रहे हैं। ऐसे पहले ट्रेन सेटों का प्रारंभण वर्ष 2018-19 के दौरान किया जाएगा।

98. मुंबई की परिवहन प्रणाली, जो शहर की जीवन रेखा है, का विस्तार किया जा रहा है ओर 11,000 करोड़ रुपये की लागत से इसमें 90 कि. मी. दोहरी पटरियां (डबल लाइन ट्रैक) जोड़ी जा रही हैं। लगभग 40000 करोड़ रुपये की लागत से 150 किमी के अतिरिक्त उप नगरीय नेटवर्क की योजना बनाई जा रही है जिसमें कुछ खंडों में ऊंचे उठे हुए गलियारे शामिल हैं। बेंगलुरू मेट्रोपोलिस के विकास की जरूरतों को पूरा करने लिए 17,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर लगभग 160 किलोमीटर के उपनगरीय नेटवर्क की योजना बनाई जा रही है।

99. भारत की पहली अत्यधिक गति (हाईस्पीड) वाली रेल परियोजना, मुम्बई- अहदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की आधारशिला 14 सितम्बर, 2017 को रखी गई। 'हाई स्पीड' रेल परियोजनाओं के लिए आवश्यक जनशक्ति को प्रशिक्षण देने के लिए बड़ोदरा में एक संस्थान स्थापित किया जा रहा है।

100. पिछले तीन वर्षों में घरेलू हवाई यात्री यातायात प्रति वर्ष 18 प्रतिशत बढ़ा और हमारी एयरलाइन कंपनियों ने 900 से अधिक एअरक्राफ्टों की खरीद के लिए आर्डर प्लेस किया है। पिछले

https://www.sarkarionlinejob.com/

वर्ष सरकार द्वारा शुरू की गई उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम देश भर के 56 ऐसे हवाई अड्डों और 31 हेलीपैडों में कनेक्टिविटी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी जहां पहले यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी। ऐसे 16 हवाई अड्डों पर प्रचालन शुरू किए जा चुके हैं। सरकार की इस पहल से हवाई चप्पल पहनने वाले नागरिक भी जहाज से यात्रा कर रहे हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास 124 हवाई अड्डे हैं। नई पहले नभ निर्माण स्कीम के अंतर्गत वर्ष में एक बिलियन यात्राओं को संभालने के लिए हमारी हवाई अड्डों की क्षमता का 5 गुने से अधिक विस्तार करने का प्रस्ताव है। इस विस्तार को धन उपलब्ध कराने के लिए अधिक संसाधन जुटाने हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के तुलन-पत्र को लिवरेज किया जाएगा।

101. अंतरराष्ट्रीय अच्छी परिपाटियां विकसित करके, सुनम्य आधारभूत सुविधा विकास के लिए समुचित मानक और विनियामक तंत्र विकसित करने के लिए आपदा लोचनीय आधारभूत सुविधा पर सहमिलन स्थापित करने का हमारा प्रयास भलीभांति कार्य कर रहा है। वर्ष 2018-19 में इस पहल को शुरू करने के लिए 60 करोड़ रुपये आबंटित करने का मेरा प्रस्ताव है।

102. सरकार ने अभी बाजार विनियामकों के भारत में आधारभूत सुविधाओं निवेश न्यास (आईएनवीआईटी) और वास्तविक निवेश न्यास (आरईआईटी) जैसे मुद्रीकरण वाहनों के विकास के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। अगले वर्ष से सरकार इनविट का प्रयोग करते हुए चुनिदे सीपीएसई आस्तियों के मौद्रिकरण की पहल करेगी।

103. चालू वर्ष में हमने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रज्जुमार्ग (रोपवे) को शामिल किया, रेलवे स्टेशनों और लाजिस्टिक पार्कों के आस-पास की वाणिज्यिक भूमि के विकास को शामिल करने के लिए रेलवे आधारभूत सुविधा के दायरे का विस्तार किया ताकि उन्हें आधारभूत सुविधा की सुमेलित सूची में शामिल किया जा सके।

104. भारतीय रिजर्व बैंक ने कारपोरेट पहुंच बांड बाजार को टहोका देने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। सेबी भी बड़े कारपोरेटों से शुरू कर अधिदेश देने पर विचार करेगा ताकि उनकी एक चौथाई वित्तीय जरूरतें बांड बाजारों से पूरी की जा सकें।

105. बीबीबी रेटिंग वाले कारपोरेट बांड या समकक्ष निवेश ग्रेड हैं। भारत में अधिकांश विनियामक (रेगुलेटर) केवल एए रेटिंग बांडों को ही निवेश के उपयुक्त मानकर उनकी अनुमति देते हैं। अब समय आ गया है कि एए से ए ग्रेड रेटिंग की ओर बढ़ा जाए। सरकार और संबंधित विनियामक इस संबंध में आवश्यक कदम उठाएंगे।

106. राज्यों से परामर्श कर हम वित्तीय प्रतिभूति संव्यवहार से संबंधित स्टांप ड्यूटी व्यवस्था के संबंध में सुधारात्मक कदम उठाएंगे और भारतीय स्टांप अधिनियम में आवश्यक संशोधन करेंगे।

107. गिफ्ट सिटी में प्रचालित हो चुके अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (आईएफएससी) के पूर्ण विकास के लिए एक सशक्त और समेकित विनियामक ढांचे की जरूरत है ताकि वह अपतट वित्तीय केन्द्रों से प्रतिस्पर्धा कर सके। भारत में आईएफएससी की सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए सरकार एक एकीकृत प्राधिकरण स्थापित करेगी।

https://www.sarkarionlinejob.com/

108. डिजिटल स्पेस - मशीन लर्निंग, कृत्रिम आसूचना इंटरनेट, 3डी प्रिंटिंग और इसी प्रकार की अन्य विधाओं में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के विकास के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में रूपांतरण हो रहा है। डिजिटल इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी डिजिटल पहलों से भारत को स्वयं को ज्ञान और डिजिटल सोसाइटी के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। हमारे प्रयासों को अनुप्रयोगों के अनुसंधान और विकास सहित कृत्रिम आसूचना के क्षेत्र निर्देशित करने के लिए नीति आयोग एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ करेगा।

109. साइबर और भौतिक प्रणालियों के संयुक्त रूप देने में न केवल नवोन्मेषी पारिस्थितिकी प्रणाली को रूपांतरित करने की क्षमता है बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी जीवन शैली में भी बदलाव लाने की क्षमता है। अनुसंधान, रोबोटिक्स, कृत्रिम इन्टेलिचेन्स, डिजिटल विनिर्माण, बड़े आंकड़ों के विश्लेषण, क्वांटम कम्युनिकेशन और इंटरनेट जैसी बातों में प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के उत्कृष्ट केन्द्रों की स्थापना को सहयोग देने के लिए साइबर भौतिक प्रणाली एक मिशन शुरू करेगा। मैंने 2018-19 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए आवंटन को दोगुना करते हुए 3073 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है।

110. भारत नेट परियोजना के चरण-1 के अंतर्गत तेज गति वाले आप्टीकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से एक लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने का कार्य पूरा कर लिया गया है। इससे लगभग दो लाख पचास हजार गांवों में 20 करोड़ ग्रामीण भारतीयों तक ब्राडबैंड की सुविधा सुलभ करवाई जा सकी है। सरकार का विचार पांच लाख वाई फाई हॉटस्पाट स्थापित करने का भी है जिनमें पांच करोड़ भारतीयों को ब्राडबैंड की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। मैंने 2018-19 में दूरसंचार अवसंरचना के सृर्जन और संवर्धन के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

111. उदीयमान नई प्रौद्योगिकियों, विशेषकर 'फिफ्थ जनरेशन' (5जी) प्रौद्योगिकियों और इसको अपनाने को गति देने के लिए दूरसंचार विभाग, आईआईटी, चेन्नई में स्वदेशी 5जी टेस्टबेड स्थापित करने में सहायता उपलब्ध करवाएगा।

112. डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम या ब्लाक चेन टेक्नोलाजी में मध्यवर्तियों की जरूरत के बिना रिकार्डों या संव्यवहार की श्रृंखला के आर्गेनाइजेशन की अनुमति होती है। सरकार क्रिप्टो-करेंसी लीगल टेंडर या क्वाइन पर विचार नहीं करती है और अवैध गतिविधियों को धन उपलब्ध कराने अथवा भुगतान प्रणाली के एक भाग के रुप में इन क्रिप्टो परिसंपत्तियों के प्रयोग को समाप्त करने के लिए सभी प्रकार के कदम उठाएगी। डिजिटल अर्थव्यवस्था शुरू करने के लिए सरकार ब्लाक चेन टेक्नोलाजी के प्रयोग की संभावना तलाशने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करेगी।

113. सड़क स्थित टोल प्लाजा पर भौतिक रूप से नकद में टोल टैक्स भुगतान की प्रणाली का शीघ्र ही फास्टेग्ज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियां स्थान लेने जा रही हैं इससे सड़क मार्ग से यात्रा निर्बाध होगी। फास्टेग्ज की संख्या दिसम्बर, 2016 में लगभग 60,000 से बढ़कर वर्तमान में 10 लाख से अधिक हो चुकी है। दिसम्बर, 2017 से "एम" और "एन" श्रेणी के सभी वाहन फास्टेग्ज के साथ ही बेचे जा रहे हैं। सरकार टोल प्रणाली को "प्रयोग की तरह भुगतान" आधार पर प्रारम्भ करने के लिए एक नीति लाएगी।

https://www.sarkarionlinejob.com/

114. रोजगार सृजन और सहायता वृद्धि के उद्देश्य से, वर्ष 2018-19 के लिए आधारभूत सुविधा पर सरकार के अनुमानित बजटीय और अतिरिक्त बजटीय व्यय को वर्ष 2017-18 में 4.94 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय के मुकाबले बढ़ाकर 5.97 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। ब्यौरा अनुबंध-।।। में दिया गया है।

संस्थाओं का निर्माण तथा सार्वजनिक सेवाओं की सुपुर्दगी में सुधार

115. अपनी सीमाओं पर हमारे द्वारा सामना किए जाने वाली चुनौतियों से निपटने और जम्मू एवं कशमीर तथा उत्तरपूर्व दोनों में आंतरिक सुरक्षा माहौल की व्यवस्था करने में सशस्त्र बलों ने अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्र हित की रक्षा करने में सेना की तीनों सेवाओं द्वारा किए गए प्रयासों और बलिदानों के लिए मैं उनकी भूरि-भूरि सराहना करना चाहूंगा।

116. वर्ष 2014 में जबसे एनडीए सरकार ने कार्यभार संभाला है, रक्षा बलों की प्रचालनात्मक सामर्थ्य के आधुनिकीकरण और अभिवर्धन के लिए काफी जोर दिया गया है। अपनी रक्षा संबंधी जरूरतें पूरी करने में राष्ट्र को आत्म निर्भर बनाने के लिए आंतरिक रक्षा उत्पादन सामर्थ्य को विकसित और प्रोत्साहित करने के लिए अनेक पहलें की गई हैं। हमारी प्राथमिकता प्रर्याप्त बजटीय सहायता सुनिश्चित करना होगी।

117. हमने रक्षा उत्पादन में निजी निवेश के दरवाजे खोल दिए हैं, जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को और उदार बनया गया है। हम देश में रक्षा उद्योग के उत्पादन के लिए दो गलियारे विकसित करने के लिए कदम उठाएंगे। सरकार उद्योग अनुकूल रक्षा उत्पादन नीति, 2018 का पदार्पण करेगी ताकि सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके।

118. आधार से प्रत्येक भारतीय को पहचान मिली है। आधार के माध्यम से हमारे लोगों को अनेक सार्वजनिक सेवाएं सरलता से मिलने लगी हैं। प्रत्येक छोटे या बड़े उद्यम को भी विशिष्ट पहचान (यूनिक आईडी) की आवश्यकता है। सरकार भारत में प्रत्येक उद्यम को अलग से एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने की स्कीम लाएगी।

119. 'ईज आफ डूइंग बिजनेस' के लिए व्यावसायिक सुधारों को देश के और भीतर तक तथ प्रत्येक राज्य में पहुचाने के लिए, भारत सरकार ने व्यवसाय के 372 विशिष्ट कार्यक्रमों की पहचान की है। सभी राज्यों ने इन सुधारों को और सरल बनाने की प्रक्रियाओं के एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए एक अभियान के रूप में लिया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य के निष्पादन का मूल्यांकन अब प्रयोगकर्ता से प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाएगा।

120. भारतीय खाद्य निगम के पूंजीगत ढांचे को पुनः तैयार किया जाएगा ताकि इसकी स्थाई कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इक्विटी को बढ़ाया जा सके और लंबी अवधि के ऋणों को उगाहा जा सके।

121. इक्विटी में भारत सरकार के अंशदान अैर राज्य सरकारों द्वारा संचालित मेट्रो उद्यमों के ऋण की बजट प्रक्रिया को कारगर बनाया जाएगा।

https://www.sarkarionlinejob.com/

122. वाणिज्य विभाग सभी स्टेकधारकों को आपस में जोड़ने के लिए एक सिंगल विंडो ऑनलाइन मार्केट प्लेस के रूप में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल तैयार करने जा रहा है।

123. सरकार ने दो बीमा कंपनियों सहित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 14 उद्यमों को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने का अनुमोदन किया है। सरकार ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 24 उद्यमों में सामरिक विनिवेश की प्रक्रिया भी प्रारंभ की है। इसमें एयर इंडिया का सामरिक निजीकरण भी शामिल है।

124. ओएनजीसी द्वारा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन के अधिग्रहण की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण हो गई है। सरकारी क्षेत्र की तीन साधारण बीमा कंपनियां नैशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि. और ओरियंटल इंडिया इन्श्योरेंस कंपनी लि. को एक बीमा कंपनी में आमेलित किया जाएगा और बाद में इसे सूचीबद्ध किया जाएगा।

125. सरकार ने 14,500 करोड़ रुपये जुटाने के लिए एक्सचेंज ट्रेडड फंड भारत-22 को शुरू किया है, जिसके अंतर्गत सभी ओर से अपेक्षा से कहीं अधिक रकम जुटाई गई। दीपम ऋण ईटीएफ सहित ईटीएफ के और अधिक पेशकश लाएगा।

126. विनिवेश के लिए वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान अब तक के उच्चतम स्तर 72,500 करोड़ रुपये पर स्थिर रहे। मुझे सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हम बजट अनुमानों के लक्ष्य से आगे बढ़ निकल गए हैं। 2017-18 में 1,00,000 करोड़ रुपये की प्राप्तियों का अनुमान लगा रहा हूँ। इसलिए 2018-19 के लिए 80,000 करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य रख रहा हूँ।

127. बैंक पुनः पूंजीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है जिसके अंतर्गत इस वर्ष 80,000 करोड़ रुपये के बांड जारी किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को एक एनहानस्ड एक्सेस एंड सर्विसेज एक्सीलेंस (ईज) कार्यक्रम के दिशानिर्देश के तहत एक महत्वाकांक्षी सुधार एजेंडे के साथ समेकित किया गया है। इस पुनःपूंजीकरण प्रक्रिया से 5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण देने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों का मार्ग प्रशस्त होगा।

128. सुदृढ़ साख वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बाजार से पूंजी जुटाने की अनुमति देने का प्रस्ताव है ताकि इन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अपनी साख को और बढ़ाने में सक्षम बनाया जा सके।

129. राष्ट्रीय आवास बैंक की इक्विटी को भारतीय रिजर्व बैंक से सरकार को अंतरित करने के लिए राष्ट्रीय अवास बैंक अधिनियम को संशोधित किया जा रहा है। भारतीय डाकघर अधिनियम, भविष्य निधि अधिनियम और राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र अधिनियम को समामेलित किया जा रहा है और इसमें कुछ लोक हितैषी उपाय जोड़े जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को अधिक नकदी व्यवस्थित करने के साधन उपलब्ध कराने और असंपार्श्विक जमा सुविधा को संस्थापित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम को संशोधित किया जा रहा है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, अधिनियम,1992, प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 और निक्षेपागार अधिनियम,1996 को संशोधित किया जा रहा है ताकि न्याय निर्णयन प्रक्रियाओं को कारगर बनाया जा सके और कुछ उल्लंघनों के लिए दंड का प्रावधान किया जा सके। ये प्रस्ताव इस वित्त विधेयक में रखे गए हैं।

https://www.sarkarionlinejob.com/

130. सभी विस्तृत अनुदान मांगों को सरलता से उपलब्ध कराने के लिए इनके लिंक india.gov.in पर दिए जाएंगे। सरकार प्रकट की गई राजकोषीय सूचना को मशीन रीडेबल फार्म में उपलब्ध कराने की व्यावहारिकता पर भी विचार करेगी।

131. सरकार केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों में ई-आफिस और ई-गवर्नेंस से संबंधित पहलों को शुरू करते हुए अपने कार्यचलन के सुचारू निपटान की पद्धति में बदलाव ला रही है। इन पहलों को अनुबंध-IV में सूचीबद्ध किया गया है।

132. सरकार सोने को एक आस्ति की श्रेणी में लाने के लिए एक व्यापक गोल्ड पॉलिसी बनाएगी। सरकार देश में सोने के विनियमित आदान-प्रदान की उपभोक्ता हितैषी और व्यापार दक्ष प्रणाली भी स्थापित करेगी। सोना मौद्रिकरण स्कीम को पुनः सुदृढ़ किया जाएगा ताकि लोग गोल्ड डिपोजिट खाता बिना किसी परेशानी के खोल सकें।

133. भारत की ओर से बहिर्गामी प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई) प्रतिवर्ष 15 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया है। सरकार मौजूदा दिशानिर्देश और प्रक्रियाओं की समीक्षा करेगी और एक सुसंगत और समेकित बहिर्गामी प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई) नीति लाएगी।

134. विभिन्न उपयुक्त क्षेत्रों में, विशेषकर स्टार्टअप और उद्यमी पूंजीगत फर्मों के लिए, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए मिले-जुले साधन उपयुक्त हैं।

135. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों की परिलब्धियों में पिछली बार 1 जनवरी, 2006 से संशोधन किया गया गया था। इन परिलब्धियों में संशोधन करने और माननीय राष्ट्रपति के लिए प्रतिमाह 5 लाख रुपए, उप-राष्ट्रपति के लिए प्रतिमाह 4 लाख रुपए तथा राज्यपालों के लिए प्रति माह 3.5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है।

136. संसद सदस्यों को भुगतान की जाने वाली परिलब्धियों के संबंध में जनता के बीच वाद-विवाद होता रहा। मौजूदा कार्यपद्धति में प्राप्तकर्ताओं को अपनी खुद की परिलब्धि निर्धारित करने की अनुमति है, जिससे आलोचना होती है। अतः, मैं 1 अप्रैल, 2018 से संसद सदस्यों को भुगतान योग्य वेतन, चुनाव क्षेत्र भत्ता, कार्यालयी व्यय, बैठक भत्ता पुनः निर्धारित करने के लिए आवश्यक परिवर्तन लाने का प्रस्ताव रखता हूँ। विधि में भी मुद्रास्फीति के अधिसूचक के रूप में प्रत्येक 5 वर्षों में परिलब्धियों के संशोधन का प्रावधान होगा। मुझे विश्वास है कि सदस्य इस पहल का स्वागत करेंगे और भविष्य में उन्हें ऐसी आलोचना नहीं झेलनी पड़ेगी।

137. हमारे देश में 2 अक्तूबर, 2019 से 2 अक्तूबर, 2020 तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई जाएगी। सरकार और भारत की जनता उन आदर्शों के प्रति अपने कार्यों द्वारा अपने आपको पुनः समर्पित करेंगे जिन्हें महात्मा गांधी ने सिखाया और अपना जीवन जिसके अनुसार जिया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, विभिन्न रणनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों, गांधीवादियों, चिंतकों और जीवन के सभी क्षेत्रों से ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को शामिल करके स्मरण समारोह कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय समिति गठित की गई है। स्मरण समारोह से संबंधित क्रिया-कलापों के लिए वर्ष 2018-19 के लिए मेरी सरकार ने डेढ़ सौ करोड़ रुपए अलग से रखे हैं।

https://www.sarkarionlinejob.com/

भाग-III राजकोषीय प्रबंधन

138. अब मैं 2017-18 के लिए राजकोषीय कुल उत्पादन और 2018-19 के लिए राजकोषीय अनुमानों की ओर आता हूँ।

139. 2017-18 में, केन्द्रीय सरकार को 12 महिने के बजाए केवल 11 महिने के लिए जीएसटी राजस्व प्राप्त होगा। इसका राजकोषीय प्रभाव पड़ेगा। कुछ घटनाक्रम के कारण कर-भिन्न राजस्व में कुछ कमी भी आई जिनमें स्पेक्ट्रम निलामी का स्थगन शामिल है। इस कमी के कुछ भाग की भरपाई उच्चतर प्रत्यक्ष कर राजस्व और अधिक विनिवेश प्राप्तियों के द्वारा की गई है।

140. 2017-18 में व्यय के लिए कुल संशोधित अनुमान 21.47 लाख करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में 21.57 लाख करोड़ रुपए (राज्यों को अंतरित जीएसटी प्रतिपूर्ति को घटाकर) है।

141. हमारी सरकार ने मई, 2014 में कार्यभार संभाला, जब राजकोषीय घाटा बहुत उच्च स्तर की ओर बढ़ रहा था। 2013-14 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4 प्रतिशत था। प्रधानमंत्री और सरकार विवेकशील राजकोषीय प्रबंधन और राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने को हमेशा उच्च प्राथमिकता देती है। जैसाकि माननीय सदस्यों को स्मरण होगा, हमने 2014 में लगातार राजकोषीय कमी समेकन के पथ पर आगे बढ़े हैं। 2014-15 में, राजकोषीय घाटा कम करके 4.1 प्रतिशत और 2015-16 में 3.9 प्रतिशत पर लाया गया तथा 2016-17 में 3.5 प्रतिशत कर दिया गया। 2017-18 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा का अनुमान 5.95 लाख करोड़ रुपए है जो जीडीपी का 3.5 प्रतिशत है। वर्ष 2018-19 के लिए मैं जीडीपी के 3.3 प्रतिशत राजकोषीय घाटे का अनुमान लगा रहा हूँ।

142. संशोधित राजकोषीय मार्गदर्शन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के प्रति असंदिग्ध विश्वसनीयता लाने के लिए ऋण नियम को अंगीकार करने और जीडीपी अनुपात की तुलना में केन्द्रीय सरकार के ऋण को 40 प्रतिशत नीचे लाने से संबंधित राजकोषीय सुधार और बजट प्रबंधन समिति की प्रमुख सिफारिशों को स्वीकार करने का प्रस्ताव करता हूँ। सरकार ने भी राजकोषीय घाटा लक्ष्य को प्रमुख प्रचालनात्मक मानदण्ड के रूप में उपयोग करने की सिफारिश मान ली है। आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव वित्त विधेयक में है।

https://www.sarkarionlinejob.com/

भाग-ख

अध्यक्ष महोदया,

143. अब मैं अपने कर प्रस्तावों को प्रस्तुत करता हूं।

144. सरकार द्वारा नकदी की अर्थव्यवस्था घटाने तथा कर ढांचे में अधिकाधिक लोगों को शामिल करने के लिए किए गए प्रयास से काफी अधिक लाभ प्राप्त हुए है। वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 में प्रत्यक्ष करों की वृद्धि दर पर्याप्त रही है। हमने पिछले वर्ष 12.6 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त की थी तथा चालू वर्ष के दौरान 15 जनवरी, 2018 तक प्रत्यक्ष कर की वृद्धि दर 18.7% है। इन दो वर्षों से पूर्व के सात वर्षों के दौरान व्यक्तिगत आय कर में औसत वृद्धि का आंकड़ा 1.1 रहा है। साधारण शब्दो में कर में 1.1 के उछाल का अर्थ है कि यदि देश में जीडीपी की नाममात्रिक वृद्धि दर 10% होतो व्यक्तिगत आयकर की वृद्धि दर 11% होगी। तथापि, वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 (सं.अ.) में व्यक्तिगत आय कर में उछाल का आंकड़ा क्रमशः 1.95 और 2.11 दर्ज किया गया है। इससे यह सूचित होता है कि गत दो वित्त वर्ष के दौरान आयकर से संगृहीत अधिक राजस्व की राशि 2016-17 से पूर्व की औसत वृद्धि की तुलना में कुल लगभग ₹90,000 करोड़ है तथा इसका श्रेय सरकार द्वारा किए गए कर वंचन रोधी उपायों को दिया जा सकता है।

145. इसी प्रकार, कर दाताओं द्वारा दर्ज कराई गई विवरणियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 85.51 लाख नए कर दाताओं ने अपनी आय विवरणी दर्ज कराई है जबकि इससे ठीक पूर्ववर्ती वर्ष में 66.26 लाख व्यक्तियों ने अपनी विवरणी दर्ज कराई थी। विवरणी दर्ज करने वाले नए व्यक्तियों तथा ऐसे व्यक्तियों जो विवरणी दर्ज नहीं कराते किंतु जिन्होंने अग्रिम कर यह स्रोत पर कर कटौती के द्वारा कर का भुगतान किया है, हम प्रभावी कर दावा आधार का चित्र प्राप्त कर सकते हैं। प्रभावी करदाता आधार के संबंध में यह आंकड़ा वित्त वर्ष 2014-15 के आरंभ के 6.47 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2016-17 की समाप्ति पर 8.27 करोड़ हो गया। हम अपने उपायों की सफलताओं के लिए स्वंय को उत्साहित महसूस करते हैं तथा वचन देते हैं कि हम भविष्य में वे सभी उपाय करना जारी रखेंगे जिनसे काले धन पर रोक लगाई जा सके तथा ईमानदार कर दाताओं को पुरस्कृत किया जा सके। केवल यही एकमात्र कारण है कि ईमानदार कर दाताओं द्वारा विमुद्रीकरण का "ईमानदारी के उत्सव" के रूप में भारी स्वागत किया गया।

146. अध्यक्ष महोदया, अनुपालन को सरल बनाने के लिए सरकार ने ₹2 करोड़ से कम के वार्षिक टर्न ओवर वाले छोटे व्यापारियों तथा उद्यमियों के लिए अनुमानित आय योजना को उदार बनाया था तथा जिन व्यावसायिकों का वार्षिक टर्न ओवर ₹50 लाख से कम था, उनके लिए भी इसी प्रकार की योजना आरंभ की थी जो इस उम्मीद से की गई थी कि सरकार की इस योजना के अनुपालन में पर्याप्त वृद्धि होगी। इस योजना के अंतर्गत इस वर्ष के दौरान 41% अधिक विवरणी दर्ज कराई गई जिससे यह पता चलता है कि सरलीकृत योजना के अंतर्गत अन्य बहुत से लोग शामिल हुए। तथापि, दर्शाया गया टर्न ओवर अभी भी उत्साहवर्धक नहीं है। विभाग को निर्धारण वर्ष 2017-18 के दौरान व्यक्तिगत कर दाताओं और ₹17.97 लाख के कम औसत टर्न ओवर वाले हिन्दू अविवाहित परिवार (एचयूएफ) तथा फर्मों से 44.72 लाख विवरणियां प्राप्त हुई हैं जिनका औसत कर भुगतान मात्र ₹7,000 है। व्यावसायियों द्वारा बेहतर कर अनुपालन आचरण प्रदर्शित नहीं किया गया है। विभाग को निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए अनुमानित आय योजना के अंतर्गत 5.68 लाख विवरणियां प्राप्त हुई है तथा औसत सकल प्राप्तियां मात्र ₹5.73 लाख हैं। इनके द्वारा भुगतान किया गया औसत कर मात्र ₹35000 है।

https://www.sarkarionlinejob.com/

कृषि के संबंध में फसल कटाई के उपरांत क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए कर प्रोत्साहन

147. अध्यक्ष महोदया, वर्तमान में प्राथमिक कृषि क्रियाकलापों में जुटे अपने सदस्यों को सहायता प्रदान करने वाले सहकारी समितियों के लाभ के संबंद्ध में शत-प्रतिशत कर कटौती की अनुमति दी गई है। गत कुछ वर्षों के दौरान सहकारी समितियों की तर्ज पर अनेक किसान उत्पादक कंपनियां स्थापित की गई हैं जो अपने सदस्यों को इसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। कृषि में फसल कटाई के उपरांत मूल्य वर्धन में व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने के लिए उन्हें वितत वर्ष 2018-19 से पांच वर्षों की अवधि तक ऐसे क्रियाकलापों से प्राप्त लाभ के संबंध में ₹100 करोड़ तक के वार्षिक टर्न ओवर वाली किसान उत्पादक कंपनियों के रूप में पंजीकृत इन कंपनियों को शत-प्रतिशत कर कटौती अनुमत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस उपाय से मैंने पूर्व में जिसे मिशन ऑपरेशन ग्रीन्स की घोषणा की थी उसे प्रोत्साहन प्राप्त होगा तथा संपदा योजना को बढ़ावा मिलेगा।

रोजगार सृजन

148. वर्तमान में, वर्ष के अंतर्गत न्यूनतम 240 दिनों की अवधि तक काम करने वाले पात्र नए कर्मचारियों को उनकी परिलब्धियों पर आयकर अधिनियम की धारा 80-ञञकक के अंतर्गत 100% सामान्य कर कटौती के अतिरिक्त 30% की कटौती की अनुमति प्रदान की जाती है। तथापि, परिधान उद्योग के मामले में रोजगार की न्यूनतम अवधि कम करके 150 दिन कर दी गई है। नए रोजगार सृजन को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए मैं इस छूट को जूते एवं चमड़ा उद्योग में भी लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके अतिरिक्त, मैं यह प्रस्ताव भी करता हुँ कि पहले वर्ष के दौरान न्युनतम से कम अवधि तक रोजगार में रहे किसी नए कर्मचारी जो परवर्ती वर्ष में न्यूनतम अवधि तक रोजगार में बना रहता है, के संबंध में लाभ की अनुमति प्रदान करके 30% की इस कटौती को युक्ति-संगत बनाया जाए।

रियल एस्टेट के लिए प्रोत्साहन

149. वर्तमान में अचल संपत्ति के सौदों के संबंध में पूंजीगत प्राप्तियों, व्यावसायिक लाभों तथा अन्य स्रोतों से आय के लिए कर का निर्धारण करते समय प्राप्त प्रतिलाभ सर्किल दर मूल्य जो भी अधिक हो, की स्वीकार किया जाता है तथा अंतर का क्रेता और विक्रेता दोनों के हाथ में पहुंचे आय के रूप में परिकलन किया जाता है। कभी-कभी भूखंड की आकृति तथा अवस्थिति सहित अनेक कारणों से एक ही क्षेत्र में स्थित भिन्न-भिन्न संपत्तियों के मूल्य में अंतर हो सकता है। रियल एस्टेट सौदों में कठिनाई को न्यूनतम करने के लिए मैं प्रस्ताव करता हुँ कि जिस मामले में सर्किल दर मूल्य तथा भूखंड के निर्धारित मूल्य 5% से अधिक न हो उसमें कोई समायोजन नहीं किया जाएगा।

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमियों को प्रोत्साहन

150. केन्द्रीय बजट, 2017 में मैंने जिन कंपनियों का टर्न ओवर वित्त वर्ष 2015-16 में ₹50 करोड़ से कम था उनके लिए कारपोरेट कर दर घटाकर 25% करने की घोषणा की थी। इससे कर विवरणी जमा करने वाली कुल कंपनियों में से 96% को लाभ पहुँचा। कारपोरेट कर दर को चरणबद्ध रूप में घटाने के लिए मैंने जो वचन दिया था उसे पूरा करते हुए मैं अब प्रस्ताव करता हूँ कि इस घटाए गए 25% दर का लाभ उन कंपनियों को भी दिया जाए जिन्होंने वित्त वर्ष 2016-2017 में ₹250 करोड़ तक टर्न ओवर होने की सूचना दी है। इससे संपूर्ण श्रेणी के सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों जिनकी संख्या कर विवरणी भरने वाली समस्त कंपनियों का लगभग 99% है, को

https://www.sarkarionlinejob.com/

लाभ पहुँचेगा। इस उपाय के कारण परित्यक्त राजस्व वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान ₹7,000 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है। इसके बाद कर विवरणी भरने वाली लगभग 7 लाख कंपनियों में से लगभग 7000 कंपनियां हैं जो कर विवरणी भरती है तथा जिनका टर्न ओवर ₹250 करोड़ से अधिक है, 30% के स्लैब में रहेंगी। 99% कंपनियों के लिए कारपोरेट आयकर की कम दर होने से उन्हें अधिक मात्रा में निवेश योग्य अधिशेष राशि प्राप्त होगी जिससे अधिक रोजगार सृजित होंगे।

वेतनभोगी कर दाताओं को राहत

151. सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान व्यक्तिगत आय कर की दरों में अनेक लाभकारी परिवर्तन किए हैं। अतः मैं व्यक्तिगत आयकर के दर-ढांचे में किसी और बदलाव का प्रस्ताव नहीं करता हूँ। समाज में एक सामान्य विचार व्याप्त रहा है कि वेतनभोगी वर्ग की तुलना में व्यक्तिगत व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों की आय बेहतर होती है। तथापि, आयकर आंकड़ों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि व्यक्तिगत आय कर संग्रहण का मुख्य भाग केवल वेतनभोगी वर्ग से ही आता है। निर्धारण वर्ष 2016-17 के दौरान 1.89 करोड़ वेतनभोगी व्यक्तियों ने अपनी कर विवरणी जमा कराई है तथा कुल ₹1.44 लाख करोड़ का कर भुगतान किया है जो प्रति व्यक्ति औसतन ₹76306 कर भुगतान बनता है। इसके मुकाबले, व्यावसायिकों सहित 1.88 करोड़ व्यक्तिगत व्यवसाय से जुड़े कर दाताओं ने इसी निर्धारण वर्ष के लिए अपनी विवरणी भरी तथा कुल ₹48,000 करोड़ का कर भुगतान किया जो औसतन प्रति व्यक्ति व्यावसायिक करदाता ₹25753 बनता है। वेतनभोगी करदाताओं को राहत प्रदान करने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि परिवहन भत्ता के संबंध में मौजूदा छूट तथा विविध चिकित्सीय व्यय की प्रतिपूर्ति के बदले में ₹40,000 तक की मानक कटौती की अनुमति दी जाए। तथापि, दिव्यांग व्यक्तियों को वर्धित दर पर परिवहन भत्ता देना जारी रखा जाए। इसके अतिरिक्त, सभी कर्मचारियों के संबंध में अस्पताल में भर्ती होने के दौरान कराए गए उपचार आदि के संबंध में अन्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति लाभ जारी रहेंगे। कागजी कार्यवाही को कम करने तथा इसके अनुपालन के लिए इससे मध्यम श्रेणी के कर्मचारियों को उनकी कर योग्यता में कमी के रूप में कही अधिक लाभ पहुँचेगा। मानक कटौती किए जाने के इस निर्णय से पेंशनभोगियों को भी पर्याप्त लाभ पहुँचेगा जिन्हें परिवहन तथा चिकित्सा व्यय के मद में कोई छूट नहीं प्राप्त हाती है। इस निर्णय की राजस्व लागत लगभग ₹8,000 करोड़ है। इस निर्णय से लाभान्वित होने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों तथा पेशनभोगियों की कुल संख्या लगभग 2.5 करोड़ है।

वरिष्ठ नागरिकों को राहत

152. गरिमा के साथ जीवन यापन करना हरेक व्यक्ति और विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों का अधिकार है। जिन लोगों ने हमारी देखभाल की उनकी देखभाल करना उन्हें सर्वोच्च सम्मान प्रदान करना है। इन्हें एक गरिमापूर्ण जीवन देने के उद्देशय को प्राप्त करने के लिए मैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहनों की घोषणा करने का प्रस्ताव करता हूँ:

- बैंकों तथा डाकघरों में जमा राशि पर ब्याज आय में छूट ₹10000 से बढ़ाकर ₹50000 करना तथा ऐसी आय पर धारा 194क के अंतर्गत स्रोत पर आयकर की कटौती की जाएगी। यह लाभ सावधि जमा योजनाओं तथा आवर्ती जमा योजनाओं में प्राप्त होने वाले ब्याज के लिए भी उपलब्ध होगा।

https://www.sarkarionlinejob.com/

- धारा80घ के अतर्गत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और / या चिकित्सा व्यय हेतु कटौती सीमा को 30,000/- रुपए से बढ़ाकर 50,000/- रुपए तक करना। अब सभी वरिष्ठ नागरिक किसी स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और / या किए गए किसी सामान्य चिकित्सा के संबंध में 50,000/- रुपए प्रतिवर्ष तक कटौती के लाभ का दावा कर सकेंगे।

- धारा 80घघख के तहत कतिपय गंभीर रुग्णता के संबंध में चिकित्सा व्यय के लिए कटौती सीमा को वरिष्ठ नागरिकों के मामले में 60,000/- रुपए से और अति वरिष्ठ नागरिकों के मामले में 80,000/- रुपए से बढ़ाकर, सभी नागरिकों के संबंध में 1 लाख रुपए तक करना।

इन रियायतों से वरिष्ठ नागरिकों को 4000/- रुपए का अतिरिक्त कर लाभ प्राप्त होगा। इन कर रियायतों के अतिरिक्त, मैं, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का मार्च, 2020 तक विस्तार किए जाने का प्रस्ताव करता हूँ जिसके अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 8% सुनिश्चित प्रतिलाभ प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत प्रति वरिष्ठ नागरिक 7.5 लाख रुपए का मौजूदा निवेश सीमा भी बढ़ाकर 15 लाख रुपए तक की जा रही है।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) के लिए कर-प्रोत्साहन

153. सरकार ने भारत में एक विश्वस्तरीय अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र विकसित करने का प्रयास किया था। हाल के वर्षों में, उस उद्देश्य को पूरा करने के उद्देश्य से कर प्रोत्साहनों सहित विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए, मैं, आईएफएससी को दो और रियायतें प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ। आईएफएससी में स्थित स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा व्युत्पन्नों और कतिपय प्रतिभूतियों के अंतरण को पूंजी लाभ कर से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके अलावा, आईएफएससी में संचालन करने वाले कार्पोरेट-भिन्न करदाताओं से कार्पोरेट के लिए अनुप्रयोग्य न्यूनतम वैकल्पिक कर (मेट) के बराबर 9% की रियायती दर पर वैकल्पिक न्यूनतम कर (एएमटी) प्रभारित किया जाएगा।

नकदी अर्थव्यवस्था के नियंत्रण हेतु किए गए अन्य उपाय

154. वर्तमान में, न्यासों और संस्थाओं को आयकर से छूट प्राप्त है यदि वे अपना आय का आयकर अधिनियम के प्रासंगिक उपबंधों के अनुसार अपने उद्देश्यों के लिए उपयोग करें। तथापि, इन संस्थाओं पर नकद व्यय करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इन संस्थाओं द्वारा किए गए व्यय की लेखा परीक्षा जांच कराने के उद्देश्य से, यह प्रस्ताव है कि ऐसी संस्थाओं द्वारा नकद किए गए 10,000/- रुपए से अधिक भुगतानों की अनुमति नहीं होगी और ये कर के अध्यधीन होंगे। इसके अलावा, इन संस्थाओं द्वारा टीडीएस अनुपालन में सुधार लाने के उद्देश्य से, मैं यह प्रावधान करने का प्रस्ताव करता हूँ कि कर-कटौती न किए जाने पर, 30% धनराशि की अनुमति नहीं होगी और इस पर कर लगेगा।

दीर्घावधिक पूंजी लाभ (एलटीसीजी) का यौक्तिकीकरण

155. अध्यक्ष महोदया, फिलहाल, सूचबद्ध इक्विटी शेयरों, इक्विटी उन्मुख निधि की यूनिटों और व्यवसाय न्यास की यूनिटों के अंतरण से प्रोद्भूत दीर्घावधिक पूंजी लाभ कर से छूट प्राप्त हैं। सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए सुधारों और अभी तक दिए गए प्रोत्साहनों के साथ, इक्विटी बाजार में उछाल आया है। **निर्धारण वर्ष 2017-18** के लिए प्रस्तुत की गई विवरणियों के अनुसार, सूचीबद्ध शेयरों और यूनिटों से छूट प्राप्त पूंजी लाभ की राशि लगभग 3,67,000 करोड़ रुपए है। इस लाभ का बड़ा भाग कार्पोरेट और एलएलपी को गया है। इससे विनिर्माण के प्रति झुकाव भी सृजित हुआ है, जिसकी वजह से वित्तीय परिसंपत्तियों में और अधिक कारोबारी अधिशेष राशि का निवेश किया जा रहा है। इक्विटी

https://www.sarkarionlinejob.com/

में निवेश पर प्रतिलाभ कर छूट के बगैर भी पहले से ही काफी आकर्षक है। अतः सूचीबद्ध इक्विटियों से दीर्घावधिक पूंजी लाभ को कर के दायरे में लाना आवश्यक है। तथापि, इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि आर्थिक वृद्धि के लिए गतिशील इक्विटी बाजार आवश्यक है, मैं मौजूदा व्यवस्था में केवल एक छोटा सा बदलाव करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं, 1 लाख रुपए से अधिक के ऐसे दीर्घावधिक पूंजी लाभों पर किसी सूचकांकन के बिना 10% की दर से कर लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। तथापि, दिनांक 31 जनवरी 2018 तक के सभी लाभ इस प्रकार संरक्षित होंगे। उदाहरणार्थ, यदि कोई इक्विटी शेयर 31 जनवरी, 2018 से छः माह पूर्व 100/- रुपए पर खरीदा जाता है और इस शेयर के संबंध में 31 जनवरी, 2018 को उद्भूत उच्चतम मूल्य 120/- रुपए है, तो यदि यह शेयर इसकी खरीद की तारीख से एक वर्ष पश्चात बेचा जाता है तक 20/- रुपए के लाभ पर कोई भी कर नहीं लगेगा। तथापि, 31 जनवरी, 2018 के पश्चात अर्जित 20/- रुपए से अधिक के किसी लाभ को 31 जुलाई, 2018 के बाद बेचे जाने पर 10% की दर से कर लगेगा। एक वर्ष तक धारित इक्विटी शेयर से लाभ अल्पावधिक पूंजी लाभ रहेगा और इस पर 15% की दर से कर लगाया जाता रहेगा। इसके अतिरिक्त, मैं इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड द्वारा वितरित आय पर 10% की दर से कर प्रारंभ करने का भी प्रस्ताव करता हूँ। यह समस्त वृद्धि उन्मुख निधियों और लाभांश संवितरण निधियों के लिए समान कार्यक्षेत्र उपलब्ध कराएगा। संरक्षित किए जाने के दृष्टिगत, पूंजी लाभ कर में यह बदलाव पहले वर्ष में लगभग 20,000 करोड़ रुपए का सीमांत राजस्व लाभ लाएगा। बाद के वर्षों में यह राजस्व अधिक हो सकता है।

स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर

156. अध्यक्ष महोदया, वर्तमान में व्यक्तिगत आयकर और निगम कर पर तीन प्रतिशत उपकर - प्राथमिक शिक्षा पर दो प्रतिशत उपकर और माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के लिए एक प्रतिशत उपकर सहित - है। बीपीएल और ग्रामीण परिवारों की शिक्षा और स्वास्थ्य की जरूरतों को ध्यान में रखने के लिए मैंने अपने भाषण के भाग क में कार्यक्रमों की घोषणा की है। इसे वित्तपोषित करने के लिए, मैं उपकर को एक प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ। विद्यमान तीन प्रतिशत शिक्षा उपकर के स्थान पर देय कर पर लगाए जाने वाला चार प्रतिशत ''स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर'' प्रतिस्थापित किया जाएगा। इससे हम 11,000 करोड़ रुपए की अनुमानित अतिरिक्त धनराशि संगृहीत करने में समर्थ होंगे।

ई-निर्धारण

157. हमने वर्ष 2016 में प्रायोगिक आधार पर ई-निर्धारण प्रारंभ किया है और 2017 में विभाग और करदाताओं के बीच इंटरफेस में कमी लाने के उद्देश्य से 102 नगरों तक इसका विस्तार किया है। अभी तक प्राप्त हुए अनुभव से, अब हम ई-निर्धारण को पूरे देश में लागू करन के लिए तैयार हैं, जो आयकर विभाग की काफी पुरानी कर निर्धारण प्रक्रिया और उस विधि को रूपांतरित कर देगी जिसमें वे करदाताओं और अन्य हितधारकों के साथ व्यवहार करता था। तदनुसार, मैं निर्धारण के लिए एक नई योजना को अधिसूचित करने के लिए आयकर अधिनियम को संशोधित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें कर निर्धारण इलैक्ट्रॉनिक विधि से किया जाएगा जिससे व्यक्ति दर व्यक्ति से संपर्क करने की प्रक्रिया का उन्मूलन हो जाएगा जिससे कार्यदक्षता और पारदर्शिता बढ़ेगी।

158. प्रत्यक्ष कर संबंधी अन्य कर प्रस्ताव मेरे भाषण के अनुबंध V में सूचीबद्ध किए गए हैं।

अप्रत्यक्ष कर

159. अप्रत्यक्ष कर के संबंध में, माल और सेवा कर लागु होने के पश्चात यह पहला बजट है। आयात पर तदनुरूप शुल्क के साथ, उत्पाद शुल्क को काफी हद तक और सेवा कर को जीएसटी में मिला दिया गया है। अतः, मेरे बजट प्रस्ताव मुख्य रूप से सीमा शुल्क के संबंध में हैं।

https://www.sarkarionlinejob.com/

160. इस बजट में, मैं विगत दो दशकों से चली आ रही मूलभूत नीति से आंशिक रूप से विचलन कर रहा हूँ जिसमें सीमा शुल्क को कम करने पर अधिक बल दिया गया था कुछ क्षेत्रों खाद्य प्रसंस्करण, इलैक्ट्रॉनिक्स, ऑटो घटक, फुटवियर और फर्नीचर में घरेलू मूल्य वर्द्धन की व्यापक संभावनाएं हैं। ऐसे कुछ क्षेत्रों में घरेलू मूल्यवर्द्धन और मेक-इन-इंडिया को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए, मैं कुछ मदों पर सीमा शुल्क को बढ़ा रहा हूँ। मैं मोबाइल फोनों पर सीमा शुल्क को 15% से बढ़ाकर 20% करने, उनके कुछ पुर्जों और सहायक सामग्री पर 15% तक और टी.वी. के कतिपय पुर्जों पर 15% तक तक सीमा शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। इस कदम से देश में नौकरियों के और अधिक अवसर उत्पदन्न होंगे। सीमा शुल्क की दरों में और उत्पाद शुल्क के ढ़ांचे में किए गए कतिपय बदलावों का ब्यौरा मेरे भाषण के अनुबंध 6 में दिया गया है।

161. काजू प्रसंस्करण उद्योग की सहायता के लिए, मैं कच्चे काजू पर सीमा शुल्क को 5% से घटा कर 2.5% करने का प्रस्ताव करता हूँ।

162. मैं आयातित वस्तुओं पर शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा उपकर को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूँ, और इसके स्थान पर आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क की समग्र ड्यूटियों का 10% की दर से सामाजिक कल्याण अधिभार लगाने का प्रस्ताव करता हूँ ताकि सरकार की सामाजिक कल्याण की स्कीमों के लिए प्रावधान किया जा सके। तथापि, वे वस्तुएं जो अब तक आयात पर शिक्षा उपकरों से छूट-प्राप्त थी, इस अधिभार से मुक्त होंगी। इसके अतिरिक्त, मेरे भाषण के अनुबंध 6 में दी गई कतिपय विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर केवल सीमा शुल्क की समग्र शुल्कों पर की 3% की दर से प्रस्तावित अधिभार लगाया जाएगा।

163. मैं सीमा पार व्यापार में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नस में और सुधार लाने तथा व्यापार सुगमता करार के अंतर्गत इसके कतिपय उपबंधों को इसकी वचनबद्धताओं के अनुरूप बनाने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में कुछ परिवर्तन करने का भी प्रस्ताव करता हूँ। विवादों को निपटाने की प्रक्रिया को सरल बनाने और मुकदमेबाजी को कम करने के लिए कुछ संशोधन किए जा रहे हैं, ताकि नोटिस भेजने से पहले परामर्श, फैसले के लिए निश्चित समय-सीमा और इन समय-सीमाओं का पालन नहीं किए जाने पर मुकदमे को पूरी तरह बंद करने का प्रावधान किया जा सके।

164. जीएसटी को लागू किए जाने के मद्देनजर, मैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) का नाम बदलकर केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) करने का प्रस्ताव रखता हूँ। इसके लिए कानून में आवश्यक परिवर्तनों का प्रस्ताव वित्त विधेयक में किया गया है।

165. अध्यक्ष महोदया, इस वर्ष के बजट में प्रस्ताव करते समय हमें कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, एमएसएमई और भारतीय अर्थव्यवस्था की अवसंरचना के क्षेत्र को विशेष रूप से सुदृढ़ करने के मिशन द्वारा मार्गदर्शन मिला है। मुझे विश्वास है कि जिस नए भारत का निर्माण करने की हम आकांक्षा रखते हैं, वह जरुर आएगा। स्वामी विवेकानन्द ने भी यूरोप की यात्रा के दौरान के अपने संस्मरण में दशकों पहले कल्पना की थी। "आप स्वयं को उस रिक्ति में विलय कर दें और विलुप्त हो जाए तथा अपने स्थान पर नए भारत का सृजन होने दें। उसे किसानों की कुटिया से, हल के जुए से; ... झोपड़ी से उत्पन्न होने दें। उसे किराना दुकानदार की दुकान से तथा पकौडा, फल या सब्जी बेचने वाले के चुल्हें की बगल से सृजित होने दें। उसे कारखानों से, हाटों से, बाजारों से उभरकर आने दें। उसे बाग-बगीचों से पहाडियों से तथा पर्वत श्रृंखलाओं से विकसित होने दें।"

166. इन शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदया मैं सदन में बजट पेश करता हूँ।

https://www.sarkarionlinejob.com

					अनुबंध I
					(पैरा 45 में दिए गए अनुसार)
ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और अन्य आजीविका कार्यक्रमों के संबंध में बजटीय और बजटीय-भिन्न संसाधन					
					(करोड़ रुपए)
योजना का नाम	**अवसंरचना/आजीविका/दोनों**	**2018-19 लक्ष्य**			
		वास्तविक लक्ष्य	**वित्तीय लक्ष्य**		
			जीबीएस	**ईबीआर**	**जोड़**
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय					
पीएमकेएसवाई-एआईबीपी	अवसंरचना	दिसम्बर, 2019 तक 48 एआईबीपी प्राथमिकता परियोजनाएं		15000	15000
पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी (सीएडीडब्ल्यूएम)	अवसंरचना	15 लाख हैक्टे. की सिंचाई क्षमता का उपयोग	2300		2300
ज.सं., न.वि. और गं.सं. मंत्रालय की योजनाएं	दोनों		1461		1461
ज.सं., न.वि. और गं.सं. मंत्रालय का उप-जोड़			**3761**	**15000**	**18761**
कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग					
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	आजीविका	98 मिलियन हैक्टे. कुल फसल क्षेत्र	13000		13000
किसानों को अल्पावधि ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी	आजीविका		15000		15000
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	अवसंरचना	17.2 लाख हैक्टे. को कवर करते हुए सिंचाई परियोजनाएं	4000		4000
	आजीविका	15 लाख लाभार्थी			
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	आजीविका	1.81 लाख लाभार्थी	1500		1500
कृषि यांत्रिकीकरण संबंधी उप मिशन	अवसंरचना	62466 केन्द्र कृषि यंत्र और उपस्कर, फार्म यंत्र बैंक, उच्च तकनीकी उत्पादक उपस्कर के लिए	1100		1100

ps://www.sarkarionlinejob.co

	आजीविका	17.81 लाख लाभार्थी			
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)	अवसंरचना	10,45,878 कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, ग्लास हाउस, कस्टम हायरिंग सेंटर्स, मृदा/बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं आदि	3100		3100
	आजीविका	116.99 लाख लाभार्थी			
एकीकृत बागवानी विकास मिशन	अवसंरचना	3,30,436 केन्द्र	1599		1599
कृ.स. और कि.क. विभाग की अन्य योजनाएं	दोनों		2912		2912
कृ. स. और कि.क. विभाग का उप-जोड़			**42211**		**42211**
खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय					
मेगा फूड पार्कों के लिए योजना	अवसंरचना	12 मेगा फूड पार्क	390	1170	1560
	आजीविका	2017-18 और 2018-19 में 95000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार			
कोल्ड चेन और मूल्य अभिवर्धन अवसंरचना के लिए योजना	अवसंरचना	101 परियोजनाएं	220	880	1100
	आजीविका	2017-18 और 2018-19 में प्रत्यक्ष : 12000 और अप्रत्यक्ष : 63000 रोजगार			
खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की अन्य योजनाएं	दोनों		210	640	850
खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का उप-जोड़			**820**	**2690**	**3510**
कृषि, अनुसंधान और शिक्षा विभाग					
डीएआरई	आजीविका	21960 टन बीजों का उत्पादन, 255 लाख अदद वृक्षारोपण सामग्री, 132.5 लाख अदद पशु संसाधन	7800		7800
		1.60 लाख फ्रंटलाइन प्रदर्शन			

https://www.sarkarionlinejob.com/

		450 फार्म स्तर का प्रशिक्षण			
		20 लाख मानव संसाधन विकास			
		98 एसएयू, 681 मौजूदा केवीके और 59 नए केवीके में अवसंरचना/बुनियादी सुविधाएं			
डीएआरई का उप-जोड़			**7800**		**7800**
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय					
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	अवसंरचना	(क) 1.88 करोड़ परिवारों के लिए शौचालय (ख) रोजगार : 16.92 करोड़ व्यक्ति दिवस	15343	15000	30343
	आजीविका				
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)	अवसंरचना	पाईपयुक्त जलापूर्ति योजनाओं और सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्रों के जरिए अवसंरचना सृजन - 84000 निवासी	7000		7000
	आजीविका	आजीविका सृजन - 84000			
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय का उप-जोड़			**22343**	**15000**	**37343**
ग्रामीण विकास मंत्रालय/ग्रामीण विकास विभाग					
प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)	दोनों	49 लाख मकान, 46.55 करोड़ मानव दिवस	21000	12000	33000
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	दोनों	57,000 किमी. सड़कें और 28.35 करोड़ मानव दिवस	19000		19000
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (मनरेगा)	अवसंरचना	8552 एडब्ल्यूसी, 2.60 लाख किमी. ग्रामीण सड़कें, 1.83 लाख वर्मी/एनएडीईपी कम्पोस्ट, 675 खाद्य भंडारण गोदाम, 8340 जीपी भवन/भारत निर्माण सेवा केन्द्र	55000		55000

https://www.sarkarionlinejob.co

	आजीविका	I. मवेशी शेड/मुर्गी शेल्टर/सुअरबाड़ा - 99648 II. भूमि विकास - 1.65 लाख			
		230 करोड़ मानव दिवस			
राष्ट्रीय आजीविका मिशन - आजीविका - एनआरएलएम	एनआरएलएम के तहत आजीविका एमकेएसपी, एसवीईपी, कौशल विकास सहित	9 लाख अदद नए एसएचजी का निर्माण करना है	5750		5750
		सहायता किए जाने वाली महिला किसानों की संख्या - 5 लाख			
		मूल्य श्रृंखला विकास परियोजना -15			
		एसवीईपी उद्यमों की संख्या -25000			
		कुशल बनाएं जाने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या - 4 लाख			
ग्रामीण विकास विभाग का उप-जोड़			**100750**	**12000**	**112750**
ग्रामीण विकास मंत्रालय/भु-संसाधन विभाग					
1. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जलसंभर विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई)	**अवसंरचना**	1.30 लाख जल संचयन संरचना का सृजन/पुनरुद्धार किया जाना है	2146		2146
		1.81 लाख हैक्टे. क्षेत्र को संरक्षात्मक सिंचाई के तहत लाया जाना है			
	आजीविका	3. लाभान्वित किसानों की संख्या -5.01 लाख			
भू-संसाधन विभाग की अन्य योजनाएं			250		250
भूमि विकास विभाग का उप-जोड़			**2396**		**2396**
विद्युत मंत्रालय					

https://www.sarkarionlinejob.com

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)	**अवसंरचना**	(i) गांवों का गहन विद्युतीकरण - 1 लाख (ii) फीडर पृथक्करण नई 11 किलोवाट लाइनों सहित - 1 लाख सर्किट किमी. (iii) उप-केन्द्र (नए और अभिवर्धन) प्रारंभ करना - 600 अदद	3800	15000	18800
प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)		परिवारों को विद्युत कनेक्शनों की संख्या - 175 लाख	2750		2750
विद्युत मंत्रालय का उप-जोड़			**6550**	**15000**	**21550**
सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय					
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)	आजीविका	49000 परियोजनाएं 294000 रोजगार	1260		1260
सु.ल. और म.उ. मंत्रालय की अन्य योजनाएं	दोनों		1648		1648
एमएसएमई का उप-जोड़			**2908**		**2908**
पंचायती राज मंत्रालय					
2015-2020 की अवधि के लिए ग्राम पंचायतों को 14वें वित्त आयोग (एफएफसी) अनुदान	दोनों	स्वास्थ्य और स्वच्छता, पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण, सामुदायिक संपत्तियों का रखरखाव आदि के प्रमुख क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य	45069		45069
पंचायती राज मंत्रालय की अन्य योजनाएं	दोनों		348		348
पंचायती राज मंत्रालय का उप-जोड़			**45417**		**45417**
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय					
पीएमकेवीवाई 2.0	आजीविका	18 लाख लाभार्थी	1171		1171
कौशल विकास मंत्रालय का उप-जोड़			**1171**		**1171**

https://www.sarkarionlinejob.com

वित्तीय सेवाएं विभाग					
कृषि क्षेत्र	आजीविका				
सुक्ष्म सिंचाई निधि				1100000	1100000
ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ)	अवसंरचना			2000	2000
नाबार्ड अवसंरचना विकास सहायता (एनआईडीए)				28000	28000
डेयरी अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ)				3500	3500
मात्स्यिकी और एक्वाकल्चर अवसंरचना विकास(एफआईडीएफ)				2000	2000
कृषि बाजार अवसंरचना				1000	1000
				2000	2000
वित्तीय सेवाएं विभाग का उप-जोड़				**1138500**	**1138500**
जोड़			**236127**	**1198190**	**1434317**
टिप्पणीः उपर्युक्त आबंटन कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में अवसंरचना और आजीविका के लिए विशिष्ट हैं।					

https://www.sarkarionlinejob.com/

अनुबंध II
(पैरा 70 में यथा उल्लिखित)

शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र के अंतर्गत स्कीमवार परिव्यय

(स्कीमवार परिव्यय)

मंत्रालय/विभाग/स्कीम का नाम	**2017-18**	**2018-19**
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण		
स्वास्थ्य में सीएसएस + सीएस	**47,353**	**52,800**
	34,657	**39,199**
जिसमें		
पीएमएसएसवाई	3,975	3,825
राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम	2,000	2,100
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	21,189	24,280
राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिसन	752	875
स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा हेतु मानव संसाधन	4,025	4,225
तृतीयक देखभाल कार्यक्रम	725	750
आरएसबीवाई	1,000	2,000
आयुष	**1,429**	**1,626**
सीएसएस + सीएस	**509**	**576**
जिसमें		
नाम	441	504
स्वास्थ्य अनुसंधान	**1,500**	**1,800**
स्कूली शिक्षा	**46,356**	50,000
सीएसएस + सीएस	**38,981**	**42,391**
जिसमें		
एसएसए	23,500	26,129
आरएमएसए	3,830	4,022
मध्यान्ह भोजन	10,000	10,500
उच्चतर शिक्षा	**33,330**	**35,010**
सीएस + सीएसएस	**5,526**	**8,512**
जिसमें		
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा)	1,300	1,400
ब्याज सब्सिडी और गारंटी निधि हेतु अंशदान	1,950	2,150
एचईएफए	250	2,750
ई-शोध सिंधु	240	180

https://www.sarkarionlinejob.com/

तकनीकी शिक्षा - गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम	260	275
महाविद्यालय और विश्वविद्याय के विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति	320	340
प्रशिक्षु प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम - छात्रवृत्ति एवं वजीफा	110	125
विश्व स्तर की संस्थाएं	50	250
आभासी कक्षा कक्ष की स्थापना	75	90
मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय अध्यापक और अध्यापन मिशन	120	120
एबी	26,896	25,339
जिसमें		
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाएं	7,856	6,326
आईआईएम	1,030	1,036
ग्रामीण विकास		
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम		
सामाजिक न्याय	9,500	9,975
सीएस+सीएसएस	**6,908**	**7,750**
	6,836	**7,670**
जिसमें		
मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति (अजा)	50	125
मैट्रिक-पश्च छात्रवृत्ति (अजा)	3,348	3,000
अजा उप-स्कीमों को विशेष केंद्रीय सहायता	800	1,000
अन्य पिछड़े वर्गों हेतु मैट्रिक-पश्च छात्रवृत्ति	885	1,100
अन्य पिछड़े वर्गों हेतु मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	142	232
अजा हेतु राष्ट्रीय फैलोशिप	230	300
दिव्यांग जनों का सशक्तिकरण	**855**	**1,070**
सीएस+सीएसएस	**559**	**744**
जिसमें		
दिव्यांग जनों को सहायता सामग्री और उपकरणों की खरीद/फिटिंग हेतु सहायता	150	220
दिव्यांग जन कार्यान्वयन हेतु स्कीम अधिनियम	207	300
महिला और बाल विकास विभाग	**22,095**	**24,700**
सीएसएस	**21,844**	**24,454**
जिसमें		

https://www.sarkarionlinejob.com/

आंगनवाड़ी सेवाएं	15,245	16,335
किशोरियों हेतु स्कीमें	460	500
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	2,700	2,400
निर्भया निधि की स्कीमें	500	500
बाल संरक्षण स्कीम	648	725
राष्ट्रीय पोषाहार मिशन	1,500	3,000
महिलाओं के संरक्षण और संरक्षण हेतु मिशन (अंब्रेला)	1,089	1,366
अल्पसंख्यक मामले	**4,195**	**4,700**
सीएस+सीएसएस	**3,969**	**4,460**
जिसमें		
शिक्षा सशक्तिकरण	2,054	2,453
कौशल विकास और आजीविका	635	602
एमएसपीडी	1,200	1,320
कुल स्कीमें (सीएस+सीएसएस)	**1,22,381**	**1,37,981**
ग्रामीण विकास मंत्रालय को छोड़कर ऊपर उल्लिखित कुल मांग/मंत्रालय वार	**1,64,020**	**1,79,457**

https://www.sarkarionlinejob.com/

अनुबंध-III

(जैसाकि पैरा 114 में देखा जा सकता है)

अवसंरचना क्षेत्र पर पूंजी परिव्यय					
				करोड़ रु. में	
		सं.अ. 2017-18		**ब.अ. 2018-19**	
मंत्रालय/विभाग	**स्कीम/सीपीएसई**	**जीबीएस**	**आईईबीआर**	**जीबीएस**	**आईईबीआर**
1. कोयला मंत्रालय (10)	i) कोल इंडिया लि.	0	8500	0	9500
	ii) एनएलसी इंडिया लि.	0	4578	0	4299
	iii) सिंगरेनी कोलयरी कं. लि.	0	1400	0	2000
जोड़		**0**	**14478**	**0**	**15799**
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (23)	i) पूर्वोत्तर और सिक्किम के लिए संसाधनों का केन्द्रीय पूल	175	0	310	0
	ii) आर्थिक महत्व की सड़कों का निर्माण/सुधार	5	0	40	0
	iii) पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास स्कीम कार्यक्रम घटक	150	0	250	0
जोड़		**330**	**0**	**600**	**0**
3. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (67)	i) भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी	0	9287	0	10099
	ii) भारतीय सौर ऊर्जा निगम	50	179	0	217
जोड़		**50**	**9466**	**0**	**10317**
4. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (72)	i) कच्चा तेल भंडार के लिए भारतीय स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लि.	1121	0	701	0
	ii) फुलपुर धामरा हलदिया पाइप लाइन परियोजना	400	0	1674	0
	iii) राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान कार्यक्रम	10	0	1300	0
	iv) भारत पेट्रोलियम निगम लि.	0	7800	0	7400

https://www.sarkarionlinejob.com/

	v) चेन्नई पेट्रोलियम निगम लि.	0	865	0	1010
	vi) इंजीनियर्स इंडिया लि.	0	0	0	1356
	vii) गैस आथॉरिटी आफ इंडिया लि.	0	3309	0	4722
	viii) हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लि.	0	7110	0	8425
	ix) इंडियन आयल निगम लि.	0	18849	0	22862
	x) मैंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रो केमिकल्स लि.	0	1138	0	744
	xi) नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि.	0	375	0	428
	xii) तेल और प्राकृतिक गैस निगम लि.	0	37218	0	32077
	xiii) आयल इंडिया लि.	0	4263	0	4300
	xiv) तेल प्राकृतिक गैस निगम विदेश लि.	0	6393	0	5886
जोड़		**1531**	**87319**	**3675**	**89210**
5. विद्युत मंत्रालय (74)	कारगिल के रासते श्रीनगर से लेह 220 केवी ट्रांसमिशन लाइन	500	0	500	0
	ii) दामोदर घाटी निगम लि.	0	1057	0	1606
	iii) राष्ट्रीय पनबिजली निगम लि.	350	3173	482	2258
	iv) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि.	0	28000	0	22300
	v) पूर्वोत्तर विद्युत निगम लि.	1	1212	267	122
	vi) विद्युत वित्त निगम लि.	0	4000	0	0
	vii) पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	0	25000	0	25000
	viii) सतलुज जल विद्युत निगम लि.	0	609	0	935
	ix) टिहरी हैडरो डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.	32	1267	52	1248
जोड़		**883**	**64318**	**1301**	**53469**

https://www.sarkarionlinejob.com/

नागर विमानन मंत्रालय (9)	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	150	2543	0	4086
जोड़		**150**	**2543**	**0**	**4086**
दूरसंचार विभाग (14)	रक्षा स्पेक्ट्रम - रक्षा सेवाओं हेतु आप्टीकल फाइबर केबल आधारित नेटवर्क	3755	0	4500	0
	सीपीई में निवेश (भारत ब्रांडबैंड नेटवर्क लिमिटेड	0	9786	0	16986
जोड़		**3755**	**9786**	**4500**	**16986**
रक्षा मंत्रालय (विविध) (19)	सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा क्रियान्वित निर्माण कार्य	2708	0	2785	0
	तट रक्षक संगठन	2200		2700	
जोड़		**4908**	**0**	**5485**	**0**
रेल मंत्रालय (80)	भारतीय रेलवे पर पूंजी परिव्यय	40000	34900	53060	38500
	भारतीय रेलवे वित्त निगम		45100		54940
जोड़		**40000**	**80000**	**53060**	**93440**
परमाणु ऊर्जा विभाग (4)	न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	1435	7785	1665	5656
जोड़		**1435**	**7785**	**1665**	**5656**
आवास और शहरी मामले मंत्रालय (56)	एमआरटीएस और मैट्रो परियोजनाएं	17810	1477	14924	1897
	आवास और शहरी विकास निगम	0	13716	0	13040
	पीएमएवाई (शहरी)	6043	0	6500	25000
जोड़		**23853**	**15193**	**21424**	**39937**
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (81)	एनएचएआई में निवेश	23892	59279	29663	62000
	सड़क और पुल	26967	0	29762	0
जोड़		**50858**	**59279**	**59425**	**62000**
पोत परिवहन मंत्रालय (87)	सागरमाला	125	0	250	0
	वोचिदंबरनर पत्तन न्यास		163		342
	जवाहरलाल नेहरु पत्तन न्यास		1569		2065

https://www.sarkarionlinejob.com/

	मुंबई पत्तन न्यास		410		432
	दीन दयाल पत्तन न्यास, कांडला		347		458
	कामराजार पत्तन न्यास		325		250
	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड		351		495
जोड़		**125**	**3165**	**250**	**4042**
इस्पात मंत्रालय (93)	फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड	0	28	0	23
	केआईओसीएल	0	2024	0	1782
	मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड	0	272	0	279
	मेकॉन लिमिटेड	0	5	0	5
	एमएसटीसी लिमिटेड	0	33	0	49
	एनएमडीसी लिमिटेड	0	3324	0	3778
	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	0	1570	0	1400
	स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड	0	4200	0	4000
जोड़		**0**	**11428**	**0**	**11294**
उच्चतर शिक्षा विभाग (58)	एचईएफए	250	0	2750	28000
जोड़		**250**	**0**	**2750**	**28000**
इलैक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	डिजिटल इंडिया	1426		3073	5700
जोड़		**1426**		**3073**	**5700**
कुल जोड़		**129554**	**364759**	**157208**	**439935**
		494313		**597143**	

https://www.sarkarionlinejob.com/

अनुबंध IV

(पैरा 131 में यथासंदर्भित के अनुसार)

केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों में ई-आफिस और ई-गवर्नेंस पहलें

1. फीस, अर्थदंड अभी अन्य गैर-कर देयताएं सरकारी खाते में जमा करने के लिए एक ही स्थान पर सेवाएं प्रदान करने के लिए एक गैर-कर प्राप्ति पोर्टल।

2. सभी विधानमंडलों को डिजिटाइज करने तथा कागजरहित बनाने के लिए परियोजना 'ई-विधान'।

3. खरीदारी करने के संबंध में सभी सूचनाएं एक ही स्थान पर प्राप्त करने के लिए एक केन्द्रीय सार्वजनिक लोक प्रापण पोर्टल लगभग 3.5 लाख ठेकेदार और विक्रेता (वेंडर) इस प्लेटफार्म के साथ पंजीकृत हैं। नवम्बर, 2017 में ही इस पोर्टल के माध्यम से लगभग दो लाख चालीस हजार करोड़ रुपए मूल्य की एक लाख निविदाओं के लिए इलेक्ट्रानिक बोलियां आमंत्रित की गईं।

4. उचित मूल्य पर उचित गुणवत्ता और उचित मात्रा में पारदर्शी और कार्यकुशल रीति से खरीदारी को सुकर बनाने के लिए गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (जेम)। 'जेम' प्लेटफार्म (जेम 3.0) का तृतीय संस्करण 26 जनवरी, 2018 का आरंभ किया जाएगा। इस प्लेफार्म में अठत्तर हजार खरीदार, छप्पन हजार विक्रेता, तीन लाख पिचहत्तर हजार उत्पाद और 12 सेवाएं हैं। लगभग दो लाख लेन-देन में तीन हजार करोड़ रुपय मूल्य के लेन-देन को सुकर बनाने के अतिरिक्त यह आधार मूल्य पर 25% से अधिक बचत प्राप्त कर सकता है।

5. सभी जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में सर्वसुलभ कंप्यूटरीकरण क्लाइड कंप्यूटिंग के प्रयोग तथा ई-फाइलिंग और ई-भुगतान जैसी ई-सेवाओं की उपलब्धता के लिए ई-न्यायालय।

6. देश के लगभग सोलह हजार कंप्यूटरीकृत न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों से न्यायिक कार्यवाहियों और निर्णयों से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए आनलाइन प्लेटफार्म उपलब्ध करवाने के लिए एक राष्ट्रीय न्यायिक आंकड़ा ग्रिडवादी केन्द्रिक सेवाएं प्रदान करने के लिए एक ई-कोर्ट सर्विस एप्प किया गया है।

7. महत्वपूर्ण सामान्य आवेदनों का सेट उपलब्ध करवाने के लिए ई-पंचायत प्लेटफार्म ताकि पंचायत के कार्यकरण से संबंधित विभिन्न पक्षों जैसे आयोजना, बजट की तैयारी, कार्यान्वयन, लेखाकरण, निगरानी और प्रमाण पत्र, लाइसेंस आदि जैसी सेवाओं की सामाजिक लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में कार्वाई की जा सके।

https://www.sarkarionlinejob.com/

बजट भाषण का अनुबंध-V

प्रत्यक्ष करों में अन्य परिवर्तन

1. यह प्रावधान किए जाने का प्रस्ताव है कि निर्धारण वर्ष 2018-19 और बाद के निर्धारण वर्षों के लिए दर्ज की गई विवरणियों की जांच के समय आयकर अधिनियम (जिसे बाद में अधिनियम कहा गया है) की धारा 143 (1) (vi) के तहत कोई समायोजन नहीं किया जाएगा।

2. उन कंपनियों के संबंध में, जिनमें शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता (आईबीसी), 2016 के तहत कोई आवेदन दाखिल किया गया है, यह प्रावधान प्रस्तावित है कि न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) का परिकलन करने के प्रयोजनार्थ अवशोषित न किए गए मूल्यह्रास और अग्रेनीत हानि की सकल राशि को दर्ज़ लाभ में से घटाने की अनुमति होगी।

3. प्रस्ताव है कि अगले लाभ से हानि-पूर्ति के प्रयोजन के लिए शेयरधारिता पर प्रतिबंध के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 79 का अनुबंध आईबीसी, 2016 के तहत अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार शेयरधारिता के परिवर्तन के मामले में लागू नहीं होगा, यहां सुने जाने का अवसर प्रधान आयुक्त या आयुक्त को दिया गया है।

4. यह प्रावधान किए जाने का प्रस्ताव है कि शोधन अक्षमता समाधान से संबंधित पेशेवर उस कंपनी के मामले में आय की विवरणी का सत्यापन करेगा जिसमें शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता, 2016 (आईबीसी) के तहत कोई आवेदन दाखिल किया गया है।

5. यह प्रावधान प्रस्तावित है कि न्यूनतम वैकल्पिक कर के उपबंध उन विदेशी कंपनियों के संबंध में लागू नहीं होंगे जिनकी आय उक्त अधिनियम की धारा 44ख, 44खख, 44खखक और 44खखख में निर्दिष्ट व्यवसायों से ही है, बशर्ते कि यह लाभ इन धाराओं में विनिर्दिष्ट दरों पर कर के लिए पेश की गई हो।

6. यह भी प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय पैंशन प्रणाली ट्रस्ट से 40% तक की धन-निकासी के लिए छूट का लाभ न केवल कर्मचारियों को बल्कि सभी ग्राहकों को भी प्रदान किया जाए।

7. यह प्रावधान किए जाने का भी प्रस्ताव है कि ऐसे मामले में जहां अनेक वर्षों के स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम का भुगतान एक वर्ष में किया गया है, वहां जितने वर्षों के लिए स्वास्थ्य बीमा का लाभ उपलब्ध है उनके समानुपात में कटौती प्रदान की जाएगी।

8. स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन देने के लिए, किसी 'स्टार्ट-अप' के लिए 'पात्र कारोबार' की परिभाषा को औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग द्वारा अधिसूचित की गई संशोधित परिभाषा के अनुरूप बनाने का प्रस्ताव है। आगे यह भी प्रस्ताव है कि अधिनियम की धारा 80-झकग के तहत लाभ उठाने के लिए किसी स्टार्ट-अप के लिए निगमन की तारीख को 31 मार्च 2019 से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया जाए और लाभ उठाने के लिए टर्नओवर की शर्त को भी युक्तिसंगत बनाया जाए।

9. अधिनियम की धारा 56(2)(भ) के उपबंधों को युक्तिसंगत बनाने का भी प्रस्ताव है जिसमें किसी पूर्णतः स्वामित्व वाली भारतीय सहायक कंपनी द्वारा इसके स्वामित्वाधीन होल्डिंग कंपनी को और किसी भारतीय होल्डिंग कंपनी द्वारा इसकी सहायक कंपनी को किसी परिसंपत्ति के अंतरण को कर से छूट प्रदान की गई है।

10. यह भी प्रावधान करने का प्रस्ताव है कि कृषिगत वस्तु व्युत्पन्नों का किसी मान्यताप्राप्त

https://www.sarkarionlinejob.com/

स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार करना सट्टा लेन देन नहीं माना जाएगा भले ही उन व्युत्पन्न के लेन देनों के संबंध में कोई वस्तु लेन देन कर (सीटीटी) न दिया गया हो।

11. लेन देनों की महत्वपूर्ण प्रकृति पर विचार करते हुए, यह प्रावधान करने का प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन से प्राप्त की गई तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयलटी या फीस से किसी अनिवासी को अर्जित हो रही आय कर से मुक्त होगी।

12. यह भी प्रावधान करना प्रस्तावित है कि कच्चे तेल के बचे हुए भंडार की बिक्री की छूट किसी महत्वपूर्ण तेल भंडार में भागीदार किसी विदेशी कंपनी से संबंधित संविदा या करार के समापन के संबंध में भी लागू होगी।

13. यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव है कि सरकार अधिनियम की धारा 10(46) के अंतर्गत किसी प्राधिकरण, बोर्ड, न्यास या आयोग को अधिसूचित करने के अलावा ऐसे व्यक्तियों के किसी वर्ग कोभी अधिसूचित कर सकती है।

14. उसी प्रकार के कर शासन की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है जो केवल एक्सचेंज ट्रेड वाले निधियों जो केवल घरेलू कम्पनियों के सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश करती है, में निवेश की जाने वाली निधियों की निधि के लिए इक्विटी उन्मोखी निधियों के लिए उपलब्ध है।

15. यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव है कि अधिनियम की धारा 115बीबीई के अंतर्गत कर निर्धारण करने वाले अधिकारी द्वारा निर्धारित अप्रकट आय के संबंध में किसी व्यय, भत्ता या किसी प्रकार की हानि की अनुमति नहीं होगी।

16. यह व्यस्था करने का प्रस्ताव है कि प्रत्येक संस्था, जो कोई व्यक्तिगत न हो, जो किसी वित्त वर्ष में कुल 2.50 लाख रुपए अथवा इससे अधिक की राशि की लेनदेन करती हो, उसे पर्मानेंट अकाउन्ट नम्बर(पैन) के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा। यह भी व्यवस्था की जाती है कि निदेशकों, भागीदरों, प्रधान अधिकारियों, कर्मचारियों या ऐसी संस्थाओं की ओर से कार्य करने वाले किसी सक्षम व्यक्ति भी पैन के लिए आवेदन करेगा।

17. अग्रिम व्यवस्था के लिए किसी नए सीमाशुल्क प्राधिकरण का गठन करने के संबंध में सीमाशुल्क अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन को ध्यान में रखते हुए, यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव है कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत गठित अग्रिम व्यवस्था के लिए प्राधिकरण, अग्रिम व्यवस्था के लिए सीमाशुल्क प्राधिकारण द्वारा दिए गए निर्णय के संबंध में एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा। यह भी व्यवस्था करने का प्रस्ताव है कि जब प्राधिकरण आयकर अधिनियम से संबंधित किसी आवेदन पर सुनवाई कर रहा हो तो राजस्व सदस्य आयकर से होगा।

18. अपीलीय ट्रिब्यूनल के समक्ष लागू अधिनियम की धारा 271ञ के अंतर्गत आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा आदेश पारित करवाने का प्रस्ताव किया जाता है।

19. अधिनियम की धारा 271चक के अंतर्गत आर्थिक दण्ड 100 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए और 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए करने का प्रस्ताव किया जाता है।

20. यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया जाता है कि इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना कि कोई कर देय है अथवा नहीं, विवरणी दायर नहीं करने वाली कम्पनियों के विरुद्ध अभियोग चलाया जाएगा।

21. यह अधिदेश देने का प्रस्ताव किया जाता है कि अध्याय VIक-ग के अंतर्गत किसी कटौती का लाभ उठाने के लिए व्यक्तियों को अधिनियम की धारा 139(1) के अंतर्गत निर्धारित तिथि के भीतर विवरणी दायर करना होगा।

https://www.sarkarionlinejob.com/

22. यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया जाता है कि यदि व्यापार स्टॉक को पूँजीगत आस्ति के रूप में परिवर्तित किया जाता है तो परिवर्तन की तारीख को व्यवसाय से आय का परिकलन करने के लिए उसके उचित बाजार मूल्य को ध्यान में रखा जाएगा।

23. यह व्यवस्था करके कि छूट केवल अचल परिसंपत्ति की विक्री से प्राप्त दीर्घकालिक पूँजी लाभों के संबंध में ही मिलेगी और बॉण्ड में निवेश मौजूदा 3 वर्ष से बढ़कर न्यूनतम 5 वर्षों के लिए होगा, पूँजीगत लाभ बॉण्डों में निवेश से संबंधित मौजूदा व्यवस्था को उदार बनाने का प्रस्ताव किया जाता है।

24. सरकार द्वारा हस्ताक्षरित द्विपक्षीय लिखत के अनुसार, संशोधित आश्रित एजेंट स्थायी स्थापना के संबंध में व्यवसाय के अवसर को अनुरूप बनाने के लिए अधिनियम की धारा 9 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है।

25. अधिनियम की धारा 9 में यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया जाता है कि किसी अप्रवासी की महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति भारत के साथ व्यावसायिक संबंध का निर्माण करेगा। ''महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति'' उपवाक्य को परिभाषित करने का भी प्रस्ताव किया जाता है।

26. यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया जाता है कि व्यावसायिक संविदा समाप्त होने या उसमें संशोधन करने के संबंध में प्राप्त क्षतिपूर्ति और रोजगार संविदा कर कर योग्य होंगे।

27. यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया जाता है कि भारी माल वाहनों (12 टन से अधिक भारी) के संबंध में अधिनियम की धारा 44कड. के अंतर्गत प्रकल्पित आय की गणना 1000 रुपए प्रति टन प्रति माह की दर से की जाएगी।

28. आय संगणन एवं प्रकटन मानकों (आईसीडीएस) को सांविधिक सहयोग एवं निश्चितता प्रदान करने के लिए, व्यावसाय से होने वाली आमदनी की गणना करने से संबंधित अधिनियम के अध्याय IV-घ और अधिनियम के अध्याय XIV के प्रावधानों में संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है।

29. यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया जाता है कि नव प्रवर्तित 7.75% जीओआई (कर योग्य) बॉण्ड, 2018 से ब्याज के संबंध में लागू दर पर टीडीएस बनाया जाएगा।

30. यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया जाता है कि किसी समामेलित कम्पनी के मामले में लाभांश का निर्धारण करने के उद्देश्य से संग्रहित लाभों में समामेलन की तारीख को समामेलित कम्पनी की संग्रहित लाभ भी शामिल होंगे।

31. यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया जाता है कि अधिनियम की धारा 2(22)(ड.) के अंतर्गत माना गया लाभांश कुल जाड़ किए बिना 30% की दर से लाभांश वितरण कर के अध्यधीन होगा।

32. यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया जाता है कि विनिर्माण के कार्य में लगी हुई नई घरेलू कम्पनियों के लिए 25% की रियायती दर अधिनियम के अध्याय XI के अंतर्गत प्रदत विशिष्ट आय के संबंध में विशेष दर के अध्यधीन होगा।

33. समय-सीमा और ''करार'' की परिभाषा निर्धारित करके कन्ट्री-बाई-कन्ट्री रिपोर्ट दायर करने से संबंधित व्यवस्थाओं को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव किया जाता है।

34. वायदा पण्यों में विकल्प के रूप में पण्य लेन-देन कर (सीटीटी) को युक्तिसंगत बनाने के लिए वित्त अधिनियम, 2013 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है।

35. दण्ड एवं अभियोजन के लिए स्वीकृति देने के लिए सक्षम प्राधिकारियों के पदनामों को युक्तिसंगत बनाने के लिए काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियां) और करारोपण अधिनियम, 2015 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है।

https://www.sarkarionlinejob.com/

बजट भाषण के भाग ख का अनुबंध-VI

अप्रत्यक्ष कर

1. सीमा शुल्क दरों में परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव:

		अध्याय/शीर्षक उप-शीर्षक प्रशुल्क मद	वस्तु	शुल्क की दर	
				से	तक
I.	घरेलू मूल्यवर्धन को प्रोत्साहित करना, 'मेक इन इंडिया'				
	क.	लागत घटाने के लिए निविष्टि और कच्ची सामग्री पर सीमा शुल्क में कटौती			
			खाद्य प्रसंस्करण		
	1	0801 31 00	छिलका सहित काजू नट (कच्चा काजू)	5%	2.5%
			पूंजीगत वस्तु और इलेक्ट्रानिकी		
	2	8483 40 00, 8466 93 90, 8537 10 00	शीर्ष 8456 से 8463 के अंतर्गत आने वाली सभी प्रकार की सीएनसी मशीनों टूल्स के विनिर्माण हेतु बॉल स्क्रूज, लाइनियर मोशन गाइड्स, सीएनसी सिस्टम	7.5%	2.5%
	3	70	सोलर सेल/ पैनल /मोड्यूल के विनिर्माण के लिए सोलर टेम्पर्ड ग्लास या सोलर टेम्पर्ड (रिफलेक्शन रोधी कोटेट) ग्लास	5%	शून्य
	ख.	कतिपय क्षेत्रों में शुल्क प्रतिलोम की समस्या का समाधान करने के लिए सीमा शुल्क में परिवर्तन			
			चिकित्सा उपकरण		
	4	कोई अध्याय	कोचलर इम्प्लैंट के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री, भाग या सहायक उपकरण	2.5%	शून्य
	ग.	घरेलू उद्योग को पर्याप्त संरक्षण देने के लिए सीमा शुल्क में परिवर्तन			
			खाद्य प्रसंस्करण		
	5	2009 11 00 2009 12 00 2009 19 00	संतरा रस	30%	35%
	6	2009 21 00 से 2009 90 00	अन्य फल का रस और वेजिटेबल जूस	30%	50%
	7	2009 81 00, 2009 90 00	क्रेनबेरी जूस	10%	50%
	8	2106 90	विविध खाद्य की तैयारियां (सोया प्रोटीन को छोड़कर)	30%	50%
			इत्र और प्रसाधन सामान		
	9	3303	इत्र और शौचालय पानी	10%	20%
	10	3304	सौंदर्य अथवा मेकअप का सामान अथवा त्वचा की देखभाल के सामान (दवइयों के अतिरिक्त) जिसमें सनस्क्रीन अथवा संतन सामान; मेनीक्योर अथवा पेडीक्योर सामान तैयार करना	10%	20%

https://www.sarkarionlinejob.com/

	11	3305	बालों में प्रयोग हेतु सामग्री	10%	20%
	12	3306	मुंह और दांतों की स्वच्छता की सफाई, डेंचर, फिक्सेटिव पेस्ट और पाउडर सहित, संबंधित सामान तैयार करना; व्यक्तिगत खुदरा पैकेजों में दांतों के बीच सफाई के लिए प्रयुक्त यार्न (डेंटल फ्लास)	10%	20%
	13	3307	सेविंग करने से पूर्व, सेविंग करते समय या सेविंग के बाद प्रयुक्त सामान, व्यक्तिगत डियोडोडेंट, स्नान से संबंधित सामान तैयार करना, डैपिलेटरीज और अन्य सुगंधित सामान, कास्मेटिक सौंदर्य प्रसाधन या शौचालय संबंधी सामान जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न हों, कक्ष महकाने वाले सामान तैयार करना, चाहे वे सुगंधित या डिसइन्फेक्टेंट प्रापर्टी से युक्त हों अथवा नहीं।	10%	20%
			ऑटोमोबाइल और ऑटोमोबाइल पार्ट		
	14	8407, 8408, 8409, 8483 10 91, 8483 10 92, 8511, 8708, 8714 10	**मोटर वाहन, मोटर कार, मोटर साइकिल के विनिर्दिष्ट पार्ट/कलपुर्जे**	7.5% / 10%	15%
	15	8702, 8703, 8704, 8711	**मोटर वाहन, मोटर कार, मोटर साइकिल का सीकेडी आयात**	10%	15%
	16	8702, 8704	मोटर वाहनों का सीबीयू आयात	20%	25%
	17	4011 20 10	ट्रक और बस रेडियल टायर	10%	15%
			वस्त्र		
	18	5007	सिल्क फैबरिक्स	10%	20%
			फुटवियर		
	19	6401, 6402, 6403, 6404, 6405	**फुटवियर**	10%	20%
	20	6406	फुटवियर के पार्टस	10%	15%
			डायमण्ड, कीमती रत्न और आभूषण		
	21	71	तराशे हुए और पालिश युक्त रंगीन रत्न	2.5%	5%
	22	71	हीरे प्रयोगशाला में निर्मित हीरे - अर्थसंशाधित आधे कटे हुए या टूटे हुए सहित; औद्योगिक -भिन्न हीरे प्रयोगशाला में निर्मित हीरे (बिना तराशे हुए हीरों को छोड़कर) सहित, तराशे हुए और पालिशयुक्त हीरे	2.5%	5%

https://www.sarkarionlinejob.com/

	23	7117	**नकली आभूषण**	15%	20%
			इलेक्ट्रॉनिक्स/हार्डवेयर		
	24	8517 12	**सेल्युलर मोबाइल फोन**	15%	20%
	25	3919 90 90, 3920 99 99, 3926 90 91, 3926 90 99, 4016 99 90, 7318 15 00, 7326 90 99, 8504, 8506, 8507, 8517 70 90, 8518, 8538 90 00, 8544 19, 854442, 854449	**सेल्युलर मोबाइल फोन के पार्ट और कलपुर्जे**	7.5% 10%	15%
	26	8504 90 90/ 3926 90 99	**सेल्युलर मोबाइल फोन के चार्जर/एडाप्टर और चार्जर/एडाप्टर के मोल्डिड प्लास्टिक का पीसीबीए**	**शून्य**	10%
	27	कोई चैप्टर	निम्न के विनिर्माण से संबंधित इनपुट या पार्टसः **क)** पीसीबीए, या **ख)** सेल्युलर मोबाइल फोन के चार्जर/एडाप्टर के मोल्डिड प्लास्टिक	लागू दर	शून्य
	28	8517 62 90	**स्मार्ट घडिया/ पहनने योग्य चीजें**	10%	20%
	29	8529 10 99 8529 90 90	एलसीडी/एलईडी/ऑएलईडी पैनल तथा एलसीडी/एलईडी/ऑएलईडी टीवी के अन्य कलपुर्जे	7.5%/ 10%	15%
	30	8529/4016	एलसीडी/एलईडी टीवी पैनलों के विनिर्माण हेतु 12 विनिर्दिष्ट कलपुर्जे	**शून्य**	10%
	31	70	**दूरसंचार कोटि के आप्टिकल फाइवर या आप्टिकल फाइवर केबल के विनिर्माण में उपयोग हेतु सिलिका के प्रिफार्म**	**शून्य**	5%
			फर्नीचर		
	32	9401	सीटें और सीटों के अन्य भाग (एयरक्राफ्ट सीटों और उनके पार्टस को छोड़कर)	10%	20%
	33	9403	दूसरे फर्नीचर और पार्टस	10%	20%
	34	9404	**गद्दे और तकिएः बेडिंग और इसी प्रकार की फर्निशिंग के सामान**	10%	20%

https://www.sarkarionlinejob.com/

	35	9405	**लैम्प और लाइटिंग फिटिंग, इल्युमिनेटेड साइन, इल्युमिनेटेड नेमप्लेट और इसी प्रकार के सामान (सौर लालटेन और सौर बल्ब छोड़कर)**	10%	20%
			घडियां एवं दीवाल घडियां		
	36	9101, 9102	हाथ की घडियां, पाकेटवाच, और अन्य घडियां, स्टाप घडियों सहित	10%	20%
	37	9103	क्लॉक विथ वाच मूवमेंट	10%	20%
	38	9105	अन्य घडियां, अलार्म घडियों सहित	10%	20%
			खिलौने एवं खेल		
	39	9503	**तिपहिया साइकिल, स्कूटर, पैडल वाली कारें और इसी प्रकार के पहिए वाले खिलौने; गुडियों के पिंजड़े; गुडिया; अन्य खिलौने; सभी प्रकार की पहेलियां**	10%	20%
	40	9504	**वीडियो गेम कंसोल और मशीनें, फनफेयर, टेबल या पार्लर गेम और आटोमेटिक बालिंग एलई उपष्कर**	10%	20%
	41	9505	त्योहार, समारोह या मनोरंजन संबंधी दूसरे सामान	10%	20%
	42	9506 [9506 91 के सिवाय]	खेलकूद और आउटडोर खेलों, स्वीमिंग पूल और पैडलिंग पूल (समान्य शारीरक व्यायाम, कसरत या एथलेटिक्स से संबंधित सामान और उपकरणों को छोड़कर)	10%	20%
	43	9507	फिशिंग राड्स, फिशिंग हुक और अन्य लाइन फिशिंग टैकल; फिश लैंडिंग नेट, तितलियों के नेट और इसी प्रकार के नेट; डिकॉय बर्ड्स और इसी प्रकार की शिकार या शूटिंग से संबंधित समान	10%	20%
	44	9508	चक्कर वाले झूले, झूले, शूटिंग गैलरी तथा अन्य फेयर ग्राउंड मनोरंजन; ट्रैविलिंग मैनेजरीच और ट्रैविलिंग थियेटर	10%	20%
			विविध मदें		
	45	3406	मोमबत्तियां, टैपर और इसी प्रकार की वस्तुएं	10%	25%
	46	4823 90 90	पतंगे	10%	20%
	47	9004 10	सनग्लासेस	10%	20%
	48	9611	डेट, सीलिंग या नम्बर वाली मोहरें और इसी प्रकार का सामान	10%	20%
	49	9613	सिगरेट लाइटर और अन्य लाइटर, चाहे वे यांत्रिक या इलेक्ट्रिकल हों या नहीं तथा फ्लेंट और विक्स को छोड़कर उनके पार्ट्स	10%	20%
	50	9616	**सुगंधित स्प्रे और इसी प्रकार के शौचलय से संबंधित स्प्रे, और उनके माउंट्स और हेड; पाउडर-पप और**	10%	20%

https://www.sarkarionlinejob.com/

			कास्मेटिक या टायलेट प्रिपरेशन की अनुप्रयोज्यता हेतु पैड		
II			**यौक्तिकीकरण संबंधी उपाय**		
			वनस्पति मूल के खाद्य तेल		
	1	1508, 1509, 1510,1512, 1513, 1515	**कच्चे खाद्य वनस्पति तेल यथा मूंगफली का तेल, जैतून का तेल, बिनौले का तेल, सूर्य मुखी का तेल, सफोला तेल, नारियल तेल, ताड का तेल, अलसी का तेल, मक्की का तेल, अरंड का तेल, तिल का तेल, अन्य फिक्सड वसा और तेल**	12.5%	30%
	2	1508, 1509, 1510,1512, 1513, 1515, 1516 20, 1517 10 21, 1517 90 10, 1518 00 11, 1518 00 21, 1518 00 31	**रिफाइण्ड खाद्य वनस्पति तेल यथा मूंगफली का तेल, जैतून का तेल, बिनौले का तेल, सूर्य मुखी का तेल, सफोला तेल, नारियल तेल, ताड का तेल, अलसी का तेल, मक्की का तेल, अरंड का तेल, तिल का तेल, अन्य फिक्सड वसा और तेल, वनस्पति मूल का खाद्य मार्गेरिन, साल वसा, शीर्षक 1518 के विनिर्दिष्ट सामान**	20%	35%
			रिफ्रेक्ट्री आइटम		
	3	6815 91 00	**मैगनेसाइट, डोलोमाइट या क्रोमाइट युक्त पत्थर के अन्य सामान**	10%	7.5%
	4	6901	ईंटें, ब्लाक, टाइल्स और सिलिसियस फाजिल मील्स के अन्य सिरामिक निर्मित सामान या इसी प्रकार के सिलिसियस मिट्टी से निर्मित सामान	10%	7.5%
	5	6902	रिफ्रेक्ट्री ईंटे, ब्लाक्स, टाइल्स और इसी प्रकार के रिफ्रेक्ट्री सिरामिक निर्माण संबंधी वस्तुएं, सिलिसियस फाजिल मील्स के अन्य सिरामिक निर्मित वस्तुएं या इसी प्रकार के सिलिसियस मिट्टी से निर्मित सामान को छोड़कर	5%	7.5%
	6	6903	**अन्य रिफ्रेक्ट्री सिरामिक वस्तुएं**	5%	7.5%
III		**समाज कल्याण अधिभार**			
	1	कोई चैप्टर	शिक्षा, आवासन और सामाजिक सुरक्षा के वित्तपोषण हेतु आयातित वस्तुऑ (नीचे क्रम संख्या 3 से 6 में उल्लिखित वस्तुऑ को छोड़कर) पर समाज कल्याण अधिभार लगाना	--	**सीमा शुल्क के कुल शुल्क का 10%**
	2	कोई चैप्टर	आयातित वस्तुऑ पर शिक्षा उपकर और माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा उपकर समाप्त करना	**सीमा शुल्क के कुल शुल्क का 3% [2% + 1%]**	**शून्य**

https://www.sarkarionlinejob.com/

	3	2710	आम तौर पर पेट्रोल और हाईस्पीड डीजल ऑयल के नाम से प्रसिद्ध मोटर स्प्रिट पर समाज कल्याण अधिभार से छूट	--	**सीमा शुल्क के कुल शुल्क का 3%**
	4	7106	चांदी (सोने या प्लेटिनम के साथ सिल्वर प्लेटेड सहित), अपरिष्कृत या अर्ध विनिर्मित रूप या पाउडर के रूप में	--	**सीमा शुल्क के कुल शुल्क का 3%**
	5	7108	सोना (प्लेटिनम के साथ सोने की प्लेटेड सहित), अपरिष्कृत या अर्ध विनिर्मित रूप या पाउडर के रूप में	--	**सीमा शुल्क के कुल शुल्क का 3%**
	6	कोई चैप्टर	आयातित वस्तुऑ पर शिक्षा उपकर और माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा उपकर से अब छूट प्राप्त विनिर्दिष्ट वस्तुएं	--	**शून्य**
IV		सड़क एवं अवसंरचना उपकर			
	1	2710	आम तौर पर पेट्रोल और हाईस्पीड डीजल ऑयल के नाम से प्रसिद्ध मोटर स्प्रिट पर सड़क एवं अवसंरचना उपकर लगाना	--	**8 रुपये प्रति ली.**
	2	2710	आम तौर पर पेट्रोल और हाईस्पीड डीजल ऑयल के नाम से प्रसिद्ध घरेलू तौर पर उत्पादित प्रस्तावित सड़क और अवसंरचना उपकर के बदले में सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3(1) के तहत लगाए जाने योग्य अतिरिक्त सीमा शुल्क प्रशुल्क से छूट	--	**शून्य**
	3	2710	आम तौर पर पेट्रोल और हाईस्पीड डीजल ऑयल के नाम से प्रसिद्ध आयातित मोटर स्प्रिट पर सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क (सड़क उपकर) का उन्मूलन	**6 रुपये प्रति ली.**	**शून्य**
	4		बुनियादी उत्पाद शुल्क ड्यूटी के बदले में सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3(1) के तहत सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क		
		2710	(i) आम तौर पर पेट्रोल के नाम से प्रसिद्ध मोटर स्प्रिट	**6.48 रुपये प्रति ली.**	**4.48 रुपये प्रति ली.**
		2710	(ii) हाईस्पीड डीजल आयल	**8.33 रुपये प्रति ली.**	**6.33 रुपये प्रति ली.**

https://www.sarkarionlinejob.com/

2. सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम,1975 में शुल्कों की प्रभावी दरों में कोई बदलाव नहीं, के साथ संशोधन

क्र.सं.	संशोधन
क	सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 में संशोधन
1	एकीकृत कर एवं माल और सेवा कर क्षतिपूर्ति उपकर के प्रयोजनार्थ धारा 3 में संशोधन ताकि भांडागार में रखे गए माल, जिन्हें घरेलू उपभोग या निर्यात के लिए स्वीकृति से पूर्व दूसरे व्यक्ति को बेचा जाता है, के मूल्यांकन का प्रावधान करने के लिए उपधारा 8क और 10क अंतःस्थापित की जा सकें।
ख	आयात शुल्क- सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची
1	विनिर्दिष्ट चिकित्सा उपकरणों के लिए **सीमा शुल्क की प्रशुल्क** दर 7.5% से बढ़ाकर 10% की जा रही है। तथापि, ऐसे चिकित्सा उपकरणों पर आयात शुल्क की प्रभावी दर अपरिवर्तित रहेगी।
2	लिथियम - ऑयन बैटरियों के लिए सीमा शुल्क ड्यूटी की प्रशुल्क दर 10% से बढ़ाकर 20% की जा रही है। तथापि, लिथियम - ऑयन बैटरियों पर आयात शुल्क की प्रभावी दर (सेल्युलर मोबाइल फोन के लिए लिथियम - ऑयन बैटरियों को छोड़कर) 10% पर अपरिवर्तित रहेगी।
ग	निर्यात शुल्क- सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की दूसरी अनुसूची
1	सभी दूसरे माल जो अनुसूची के स्तंभ (2) के तहत कवर नहीं किए जाते हैं, के संबंध में शुल्क की शून्य दर विनिर्दिष्ट करने के लिए एक नई टिप्पणी अंतःस्थापित करना।
2	भट्ठियों के लिए प्रयुक्त एक प्रकार के इलेक्ट्रॉड्स पर निर्यात शुल्क की 20% प्रशुल्क दर शुरू करना। तथापि, ऐसे इलेक्ट्रॉड्स पर निर्यात शुल्क की प्रभावी दर शून्य रहेगी।

3. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में महत्वपूर्ण संशोधन

क्र.सं.	**संशोधन**
क.	**व्यापार को सुगम बनाने के लिए**
1	**स्व-निर्धारण के सत्यापित करने के लिए निर्धारण के कार्य क्षेत्र को परिभाषित करना और ''जोखिम आधारित चयन'' की शुरूआत करना (सीमा शुल्क अधिनियम** की धारा **2(2), 17)**
2	विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों द्वारा अधिरोपित विनियामक नियंत्रणों के संबंध में आयातकों, निर्यातकों और अधिकारियों के लिए संदर्भ के एकल बिन्दु की स्थापना करना [**सीमा शुल्क अधिनियम** की धारा 11]
3	पूर्ण या आंशिक शुल्क छूटों के साथ मरम्मत, विनिर्माण और आगे संसाधन के उद्देश्य से आयात और निर्यात को सुगम बनाना [**सीमा शुल्क अधिनियम** की धारा 25क और धारा 25ख]
4	अपीलीय तंत्र के साथ एक नया **सीमा शुल्क एडवांस रूलिंग प्राधिकरण की नियुक्ति करना** [**सीमा शुल्क अधिनियम** की धारा 28ङ से 28ड]
5	**सीमा शुल्क आटोमेटिड प्रणाली द्वारा स्वीकृत के लिए विधिक आधार का प्रावधान करना** [**सीमा शुल्क अधिनियम** की धारा 45, 47, 51, 60, 68 और 69]
6	सीजीएसटी एक्ट में उपबंधों की तर्ज पर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर प्रारंभ करना [**सीमा शुल्क अधिनियम** की धारा 51क]

https://www.sarkarionlinejob.com/

7	लेखा परीक्षा संचालन हेतु नया अध्याय शुरू करना [**सीमा शुल्क अधिनियम** की धारा 99क]
8	व्यापार सुगमता के भाग के रूप में सरल और विभिन्न प्रक्रियाएं उपलब्ध कराने हेतु नई धारा का अंतःस्थापन [**सीमा शुल्क अधिनियम** की धारा 143कक]
9	दूसरे देशों के सक्षम प्राधिकरणों के साथ सूचना के आदान-प्रदान हेतु नई धारा प्रारंभ करना [**सीमा शुल्क अधिनियम** की धारा 151ख]
ख.	मुकदमेबाजी में कमी लाना
10	अतिरिक्त सूचना प्राप्त होने पर नोटिस से पहले परामर्श, अनुपूरक कारण बताओ नोटिस जारी करने किन्तु मौजूदा सीमित अवधि के भीतर, समयबद्ध न्याय निर्णयन और मामलों को बंद माने जाने हेतु प्रावधान करना [**सीमा शुल्क अधिनियम** की धारा 28]
11	सभी देयों की स्वेच्छा से अदायगी के मामलों में उन्मोचन जुर्माना लगाए बिना मामलों को बंद करने के लिए प्रावधान करना [**सीमा शुल्क अधिनियम** की धारा 125]
ग.	अनुपालन में सुधार लाना
12	**सीमा शुल्क अधिनियम** के कार्य क्षेत्र का भारत से बाहर उक्त अधिनियम के तहत किए गए किसी अपराध या उल्लंघन के लिए विस्तार करना [**सीमा शुल्क अधिनियम** की धारा 1]
13	अधिसूचित किए जाने वाली कतिपय वस्तुओं के लिए नियंत्रित डिलिवरी हेतु उपबंध प्रारंभ करना [**सीमा शुल्क अधिनियम** की धारा 109क]

4. <u>उत्पाद शुल्क दरों में परिवर्तन से संबंधित प्रस्ताव</u> :

		वस्तु	**शुल्क की दर**	
			से	**से**
I	**आम तौर पर पेट्रोल और हाईस्पीड डीजल ऑयल के नाम से प्रसिद्ध मोटर स्प्रिट**			
	1.	आम तौर पर पेट्रोल और हाईस्पीड डीजल ऑयल के नाम से प्रसिद्ध मोटर स्प्रिट पर सड़क एवं अवसंरचना उपकर लगाना	--	8 रुपये प्रति लीटर
	2.	आम तौर पर पेट्रोल और हाईस्पीड डीजल ऑयल के नाम से प्रसिद्ध अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (सड़क उपकर) का उन्मूलन	6 रुपये प्रति लीटर	शून्य
	3.	निम्न पर बुनियादी उत्पाद शुल्क ड्यूटी:		
		(i) ब्रांडरहित पेट्रोल	**6.48 रुपये प्रति लीटर**	**4.48 रुपये प्रति लीटर**
		(ii) ब्रांड वाला पेट्रोल	**7.66 रुपये प्रति लीटर**	**5.66 रुपये प्रति लीटर**
		(iii) ब्रांडरहित डीजल	**8.33 रुपये प्रति लीटर**	**6.33 रुपये प्रति लीटर**
		(iv) ब्रांड वाला डीजल	**10.69 रुपये प्रति लीटर**	**8.69 रुपये प्रति लीटर**
	4.	निम्न पर बुनियादी उपकर	--	शून्य

https://www.sarkarionlinejob.com/

		(i) 5% एथनॉलयुक्त पेट्रोल (ii) 10% एथनॉलयुक्त पेट्रोल और (iii) बायोडीजल-, बाल्यूम द्वारा 20% तक, इस शर्त के अध्यधीन कि एथनॉलयुक्त या बायोडीजल पर समुचित उत्पाद शुल्क अदा कर दिया गया है या ऐसे ब्लैंड के समय प्रयुक्त एथनॉलयुक्त या बायोडीजल पर समुचित जीएसटी का भुगतान कर दिया गया है।		
	5.	पूर्वोत्तर में स्थिति 4 विनिर्दिष्ट रिफाइनरियों में विनिर्मित और निकाले गए पेट्रोल और डीजल पर अवसंरचना उपकर	--	4 रुपये प्रति लीटर

टिप्पणी: ''बुनियादी उत्पाद शुल्क ड्यूटी'' केन्द्रीय **उत्पाद शुल्क प्रशुल्क अधिनियम**, 1985 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्पाद शुल्क ड्यूटी से है।

5. विविध

क्र.सं.	संशोधन
क.	**केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड को केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के रूप में पुनर्नामित करना**
	निम्नलिखित अधिनियमों में परिणामी संशोधनों के साथ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड का नाम केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के रूप में पुनर्नामित करना: - i. केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम , 1963 (1963 का 54) ii. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) iii. केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12)